हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 जुलाई, 1974

खंड 2, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

सोमवार, 15 जुलाई, 1974

पृष्ठ संख्या

तांराकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
अतांराकिंत प्रश्न एवं उत्तर	(6) 39
दी हरियाणा प्राहिबिशन आफ स्मोकिग इन सिनेमा एण्ड थियेटर हाल्ज बिल, 1974	(6) 43
दी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (ऐडीशनल फंक्शनज) बिल, 1974	(6) 54
दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) दिल, 1974	(6) 58

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 15 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल,

विधान भवन, सैक्टर 1 । चण्डीगढ में 14.00 बजे हुई ।

अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) नें अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Primary Health Centres

***757. Shri Dhaka Ram:** Will the Minister for Industries be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Primary Health Centres, Block-wise, in the State; if so, the time by which it is likely to be materialised ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी) : जी हां, धन राशि उपलब्ध होने पर, पाचवी पांच वर्षीय योजना के दौरान ।

श्री धजा राम : क्या मन्त्री महोदया बताने का कष्ट करेंगी कि थ्रू आउट दी स्टेट ऐसे कौन–कौन से ब्लाक्स ऐसे हैं जहां प्राईमरी हैल्थ सैन्टर नही हैं?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय पहले 82 ब्लॉक्स ऐसे थे जिनमें सभी के अन्दर पी०एच०सी० थे, उसके बाद 5

ब्लॉक्स नए फार्म किए हैं जिन में से एक का नोटिफिकेशन हो चुका है, 4 का अभी नहीं हुआ है । उन पांचों ब्लाकों में जो नए बने हैं, उन में पी०एच०सी० देने की योजना है ।

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोलने का क्राइटेरिया क्या है? ऐसे कई गांव हैं जिनकी आबादी 10– 10, 12– 12 हजार से ज्यादा है, क्या सरकार वहां पर इस किस्म के पी०एच०सी ० मन्जूर करेगी?

श्रीमती शारदा रानी : हमारा क्राइटेरिया एक ब्लाक में एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर देने का हए चाहे एक हजार की आबादी वाला गांव हो चाहे दस हजार की आबादी वाला गांव हो । प्रपन्न यही किया जाता है कि अधिक आबादी वाले गांव में दिया जाए ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि मेरी कांस्टीच्युएंसी में जहां एक भी प्राईमरी हैल्थ सैन्टर नहीं है, वहां किसी अच्छे गांव में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाने का सरकार विचार रखती है?

श्रीमती शारदा रानी : हम कांस्टीच्यूऐंसी–वाईज नहीं, ब्लाक–वाईज पी०एच०सी० दे रहे हैं ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, साल्हावास के ब्लॉक नाहडु में लेडी डाक्टर नहीं है । क्या वहां लेडी डाक्टर रखने का इरादा है?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, लेडी डाक्टर देने का इरादा तो हर प्राईमरी हैल्थ सैन्टर में हे लेकिन लेडी डाक्टर मिल नहीं रही ।

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहिबा यह फरमाने की कृपा करेंगी कि हरि– याणा प्रांत में ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं जहां दो प्राईमरी हैल्थ सैन्टर हैं?

श्रीमती शारदा रानी : सात ।

श्री धजा राम : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि क्या गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से ब्लॉक–वाईज दो प्राईमरी हैल्थ सैन्टर देने की तजवीज हैय अगर है तो कब तक दिए जाएंगे?

श्रीमती शारदा रानी : दे तो हम देते मगर तजवीज है नही ।

चौधरी पीर चन्द : बरवाला हल्के के अन्दर एक गांव है हसनगढ, उसके अन्दर बिल्डिग बनी हुई है और डाक्टर्ज की भी सुविधा है । क्या मन्त्री महोदया वहां पर प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोलने की कृपा करेंगी?

श्रीमती शारदा रानी : सब–सैन्टर खुलवा देंगे प्राईमरी हैल्थ सैन्टर नही।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगहों पर लोगों ने बिल्डिग्ज बनाकर

दिखा दी हैं कि प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाया जाए । क्या यह हकीकत है कि सरकार ने अब तक सैन्टर नहीं बनाया?

श्रीमती शारदा रानी : मैंने बताया कि हमारा यह क्राइटेरिया है कि एक ब्लॉक में एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोलेने और जहां उन्होंने बिल्डिंग्ज बनाकर खड़ी कर दी हैं पाई– मरी हैल्थ सैन्टर की वहां सिर्फ यही प्रॉबलम नही है कि बिल्डिग बनी हुई होनी चाहिए, स्टाफ भी होना चाहिए, रनिंग खर्च भी बठता है । '

चौधरी दल सिंह : जैसा कि मन्त्री महोदया ने क्राइटेरिया बताया है कि एक ब्लॉक में एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर होगा । आपने यह भी फरमाया कि 7 ब्लॉकों में दो–दो प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज खोले हैं । क्या कारण है कि जींद में जहां एक भी नहीं वहां नहीं खोला और जहां आलरेडी था वहां और खील दिया?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, मैने अभी. बताया था कि पांच ब्लॉक्स थे जो नए बने हैं जिन में से 4 का नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ, हुक का हो चुका है । सिर्फ उन में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर नही है । पहले जो 82 ब्लॉक्स थे उन में सब के अन्दर प्राईमरी हैल्थ सैन्टर थे और इस समय क्योंकि खुल रहे थे तो इसलिए 7 ब्लॉक्स में 2 प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बन गए हैं ।

श्री धजा राम : मन्त्री महोदया ने अभी–अभी बताया है कि 5 ब्लॉक्स नए बनाए हैं जिनमें प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोलनेकी योजना है । मैं मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूं कि जींद पुराना ब्लाक है, क्या वहां पर कोई प्राईमरी हैल्थ सैन्टर है, अगर नहीं है तो कर्ब तक खोलने की कोशिश की जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : जींद का प्राईमरी हैल्थ सैन्टर जुलाना में है, वह अब उस नए बने ब्लॉक के अन्दर चला गया है, जींद के अन्दर नही है, वहां पर अभी जगह की तज– वीज हो रही है । यूक बीबीपुर और एक खडगपुर–से डिमांड आ रही है । बीबीपुर के लिए हम सोचते हें कि वहां प्राईमरी हैल्थ सैन्टर हो क्योंकि वहां पर आबादी ज्यादा है और वहां पर प्राईमरी हैल्थ सैन्टर देना अन्डर कन्सीडेरशन है ।

चौधरी मनफूल सिंहः क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोलने के लिए गांव वालों को क्या कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है?

श्रीमती शारदा रानी : कंट्रीब्यूशन तो यू कुछ नही देना पड़ता । एक पुराना नाम था कि 3 एकड़ जमीन और दो हजार रुपए दें, इसको तो हमने रिवाईज नही किया । लेकिन आजकल अगर गांव वाले यही दे दें कि जिस ब्लॉक में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर नही है, वहां गांव वाले पूरी बिल्डिग बनाकर दे दें तो हम जल्दी से खोल देंगे ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर, मेरा इलाका हसनगढ है । क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि वहां कब तक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाने की कृपा करेंगी?

श्रीमती शारदा रानी : पांचवी पांच साला योजना के दौरान ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि पूरी बिल्डिग बनाने में कितना रुपया खर्च आएगा?

श्रीमती शारदा रानीः कम से कम आठ दस लाख रुपया तो आता है ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि जहां आठ दस लाख रुपया लगा कर गांव के लोगों ने बिल्डिग बनाकर खड़ी कर दी है, उसको यूटिलाईज करने के लिए क्या सरकार डाक्टर्ज और दवाईयां देगी?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि हम वही पर देंगे एज पाई मरी हैल्थ सैन्टर के तौर पर जहां जिस ब्लॉक में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर कोई दूसरा नही है । इनका जो क्वैश्चन है उसके बारे में हम सिविल डिस्पैसरी के तहत सोच लेंगे. जब हमारे पास इसके लिए पैसा होगा ।

Aid for the Harijan Kalyan Fund

***766. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the

Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to State whether any aid has been received by the State Government from the Central Government for the Harijan Kalyan Fund during the year 1973-74; if so, the amount of aid together with the mode of its distribution ?

Social Welfare & Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : No, Sir.

Tehsil Building

***782. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Tehsil Building at Bawani Khera in Bhiwani District during the year 1974-75 ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal): No, Sir. But with the improvement of the State's financial position the proposal will be considered.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने 1974–7 5 के लिए 'नो' कहा है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि 1974–75 में जमीन एक्वायर करने की और दूसरी कार– मैलिटीज पूरी कर ली हैं या नहीं?

Pandit Chiranji Lal Sharma No.

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि तहसील बिल्डिग होना जरूरी है ताकि तहसीलदार कही बैठकर

काम कर सके । अगर जरूरी है तो 'नो' कहने की जरूरत क्या है, उन्होंने 'नो' जवाब कैसे दिया?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : तहसील बाकायदा होल्ड की जा रही है, बाकायदा बिल्डिग है और तहसीलदार बैठते हैं ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, बवानी खेडा के ब्लॉक में तहसील बिल्डिंग है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बहादुरगढ़ में ऐसी बिल्डिग बनाने की कोई प्रपोजल हे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Bahadurgarh was recently upgraded as a Tehsil. Previously it was a Sub-Tehsil and they are just having **a** good building. But as soon as funds are available, Government will consider the desirability of constructing a building there.

श्री अमर सिंह : क्या यह हकीकत है कि तहसीलदार साहब रैस्ट हाउस की बिल्डिंग में बैठते हैं और अमला भी रैस्ट हाउस में ही बैठता है? क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कब तहसील बिल्डिग बनाकर तहसीलदार साहब को तहसील–बिल्डिग में बैठाएंने?

Pandit Chiranji Lal Sharma : This is a fact that there was an old Rest House which has been converted, for all practical purposes, into a tehsil building.

Unemployed Doctors And Engineers.

***759. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of unemployed Doctors and Engineers separately, as on 15.3.1974, in the state as per record of Employment Exchanges ; and

(b) the steps, if any, taken by the state Government to provide employment to the persons as referred to in Part (a) above, separately ?

Development Minister (Col. Maha Singh) :

(a) on 31. 3. 1974 Doctors 140

Engineers 917

(b) Two Special programmes namely " special emloyment for educated persons" and "Half a Million jobs programme for educated persons" have since been launched.

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि ''हाफ ए मिलियन जॉव्ज प्रोग्राम फार एजुकेटिड पर्सन्ज '' शुरू किया हुआ है इसके तहत 5 लाख को इम्प्लायमैंट देनी है लेकिन यहां तो 917 इंजीनियर्ज हैं, इन में से कितनों को जॉब्ज दे देंगे और कब तक देंगे?

कर्नल महा सिंह : हाफ ए मिलियन जॉब्ज स्कीम गवर्नमैंट आफ इंडिया की है, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा । इस में से हमारा हिस्सा 10— 15 हजार है और इसमें सब किस्म

के जॉब्ज हैं, इंजीनियर्ज का बहुत थोड़ा है और इस स्कीम के तहत हमने पिछले साल कुछ इंजीनियर्ज को जॉब्ज दी थीं ।

Cbaudhri Mehar Chand : May I know from the Hon. Minister if the Government is aware of the fact that there is a great deal of frustration among our youth because of uncertain prospects of employment; if so, will the Government take immediate and adequate steps to remedy the situation ?

कर्नल महा सिंह : इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि गवर्नमैंट पूरी कोशिश कर रही है ज्यादा जॉब्ज क्रिएट करने के लिए और इसके साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियलिस्टस से भी मिले हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हरियाणा के इंडस्ट्रियलिस्टस हरियाणा के आदमियो को ही एम्प्लायमैंट दिया करें ताकि अन–ऐम्प्लायमैंट कम हो ।

श्री अमर सिंहः क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा से इजी– नियर्ज और डाक्टर्ज बेरोजगारी से तंग आकर फौरन कंट्रीज में कितने गए हुए हैं?

कर्नल महा सिंहः इसके लिए टाईम चाहिए। मेरे नोटिस में नही आए हैं।

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब यह बताएंगे कि यह सरकार के पेशनजर है कि बेकार इंजीनियर्ज और डाक्टर्ज को बेकारी का भत्ता दिया जाए?

कर्नल महा सिंह : इस वक्त कोई विचार नहो है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार डाक्टर्ज को प्राईवेट प्रैक्टिस के लिए कोई इमदाद देने की सोच रही है? इसी प्रकार से जो बेकार इंजीनियर्ज हैं उनको कोई जौब देने के लिए, काम देने के लिए अगर अपना कारखाना लगाना चाहें तो उनको भी सरकार कुछ सहायता देने पर विचार कर रही है?

कर्नल महा सिंह : इजीनियर्ज के लिए सरकार एग्रो–सर्विस सैंटर खोलना चाहती है, उनको इमदाद भी दे ती है जो इंजीनियरिंग सर्विस स्टेशन, एक्सपैशन आफ कन्जयूमर को–आप्रेटिव स्टोर, एस्टेबलिशमैंट आफ डिजाईन यूनिट्स फार वाटर सप्लाई आदि खोलना चाहे। यह सब सैशल एम्प्लायमैंट प्रोग्राम के तहत ही कर रहे हैं ।

श्री के ० एन ० गुलाटी: स्पीकर साहब, एक तरफ तो सरकार कहती है कि डाक्टर्ज में अन–एम्प्लायमैंट है दूसरी तरफ अस्पतालों में डाक्टर्ज की कमी है, इसका क्या कारण है?

कर्नल महा सिंह : यह सवाल मेरे से ताल्लुक नहीं रखता है । अभी डाक्टर्ज की सलैक्शन हुई थी, पब्लिक सर्विस कमिशन ने 300– 400 डाक्टर्ज लिए है । जो डाक्टर्ज हमारे लाइव रजिस्टर में थे, उनकी तादाद पिछले साल से कम हो जाएगी ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो डाक्टर्ज एडहॉक बेसिज पर रखे गए हैं उनको हटाने के नोटिस दे दिए गए है? बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए उनको सरकार नौकरी में रखने पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष : यह तो सैप्रेट क्वैश्चन है ।

कर्नल महा सिंहः उससे मेरा कोई ताल्लुक नही है । हैल्थ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे ।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेगे कि इस हाफ–ए–मिलियन जॉब्ज स्कीम के तहत कितनी जॉबज क्रिएट कर रहे है?

कर्नल महा सिंह : मैंने तादाद पहले ही बता दी है कि 31 मार्च, 1974 को हमारे पास लारव रजिस्टर में कुल मिलाकर 140 डाक्टर्ज थे । उनमें एलोपैथिक, डैन्टल, होम्यो– पैथिक और वैटनरीज सभी शामिल हें ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि एस एस०एस०बोर्ड हरियाणा ने डाक्टर्ज को सिलैक्ट तो किया है परन्तु उनको लगाया नहीं जा रहा है? क्या यह दुरूस्त है?

कर्नल महा सिंह : एस०एस०एस०बोर्ड डाक्टर्ज सिलैक्ट नही करता । गजटिड पोस्ट का सिलेक्शन तो पब्लिक सर्विस कमिशन करता है ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गवर्नमैंट आफ इंडिया जो हाफ– ए–मिलियन जॉब्ज क्रिएट कर रहा है उसमें हरियाणा का शेयर कितना होगा?

कर्नल महा सिंह : यह स्कीम लास्ट ईयर गवर्नमैंट आफ इंडिया ने शुरू की थी अभी तक इस साल के लिए नहीं आई । उसमें कुल पोस्ट्स मिलाकर हरियाणा के हिस्से में 15 हजार आई थी । इनमें डाक्टर्ज भी है और इंजीनियर्ज भी हैं ।

श्री अमर सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि एक डाक्टर्ज या इंजीनियर की तालीम पर कितना खर्च आता है?

कर्नल महा सिंह : यह तो हैल्थ मिनिस्टर बताएंगे क्योंकि मैडिकल कालेज तो उनके अन्डर है ।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे और क्या यह ठीक है किं जो डाक्टर्ज एडहॉक बेसिज पर लगे हुए थे उनको फारिग कर दिया गया है? क्या उनको एम्प्लायमैंट मिलेगी?

श्री अध्यक्षः यह सैप्रेट क्वैश्चन है अभी आगे आ रहा है ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो गवर्न– मैट आपा इंडिया की तरफ से हाफ–ए–मिलियन जॉब्ज प्रोग्राम डा रू किया गया उसमें हरियाणा के जिम्मे 15 हजार पोस्ट्स आई हैं तो मैं यह जानना चाहता हु कि उनमें कितने एम्पलाएड हो चुके हैं?

कर्नल महा सिंह : इसके लिए सैप्रेट नोटिस चाहिए । ये जगह हमारे पास लास्ट ईयर आई थी ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय यह बताएगे कि जो सरकारी या प्राइवेट डाक्टर्ज देहातों में जाने से कतराते हैं उनके लिए सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे वे देहातों में जाएं?

कर्नल महा सिंहः मैं तो पहले ही जवाब दे चुका हू कि इसका जवाब तो हैल्थ मिनिस्टर दन ।

चौधरी पीर चन्दः क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन से पिछले साल कितने डाक्टर्ज और इंजीनियर्ज सिलैक्ट हुए और उनमें से कितने अब तक लगाए हैं और जो बाकी है उनको कब तक लगाया जाएगा?

(कोई जवाब नही दिया गया)

Deaths Occurred Due to Electricity

***788. Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to State—

(a) the total number of accidents caused due to electricity during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74;

(b) the total number of such accidents in which death occurred together with the amount paid as compensation to the next of kin of the victims;

(c) the total number of such accidents in which death occurred to animals during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 separately ;

(d) the total compensation paid to the owners of animals referred to in part (c) above during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74;

(e) the total number of cases of compensation for the accidents mentioned in part (c) above pending with the Haryana State Electricity Board as on 31-3-74 pertaining to the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 ; and

(1) the time by which compensation is likely to be paid to the owners of animals as referred to in part (e) above.

State Minister for Irrigation and Power : (Sardar Harmohinder Singh Chatha) (a), (b), (c), (d), (e), and (f). A statement cuntaining the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The total number of accidents caused due to electricity are as follows :—

Year	No. of accidents
1971-72	303
1972-73	212
1973-74	210

(b) The number of such accidents in which deaths of human beings occurred and the amount of compensation paid to their next of kin are as follows :—

Year	No. of deaths	Compensation paid during a year in Rs.
1971-72	69	1,50,000
1972-73	47	1,31,000
1973-74	35	97,315

(c) The number of accidents in which death occurred to animals are as follows:—

Year	No. of animals died in accident
1971-72	95

1972-73	55
1973-74	140

(d) The amount of compensation paid to the owners of the animals is as follows :—

Year	Compensation paid (in Rs.)
1971-72	9,860
1972-73	4,060
1973-74	1,710

(e) The total number of cases of compensation pending with Board in respect of animals mentioned in part (c) above, as on 31st March, 1974 are as follow :—

Year	Number of cases of compensation
1971-72	67
1972-73	38
1973-74	95

(f) Immediate actior is taken where the application is in accordance with the prescribed rules and complete with required details.

चौधरी दल सिंह : मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में बताया है कि बिजली के लगने से जो ऐक्सीडैन्ट्स पशुओं के हुए हैं उनमें 1971—72 में 95, 1972—73 में 55 और 1973—7 4 में

140 की मृत्यु हुई है और इसके पार्ट 'ई' के जवाब में कहा है कि सन 1971–72 में 87 को, 1972–73 में 38 को और 1973–74 में 95 को कम्पन– सैशन नही दिया गया । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सन 1971–72 में 95 पशुओं की मृत्यु हुई जब कि आज तक 67 का डिसाइड नही हुआ है । इनका फैसला होने में देरी के क्या कारण हैं? उनको कब तक कम्पनसैशन दे दिया जाएगा जिनके पशुओं की मृत्यु हुई है?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, सन् 197 1– 72 में 95 ऐक्सीडैन्ट्स पशुओं के हुए । उनमें से 28 का फैसला हुआ और 28 में से 20 केसिज र्रजैक्ट हो गए, 8 को कम्पनसैशन दे दिया गया । सम्मानित सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि इतने कम का क्यों फैसला हुआ? इसका कारण यी है कि सारी फार्मेलिटी पूरी करने में समय लगता है । हमें पांच तरह की रिपोर्ट चाहिए । एक तो जिस क्षेत्र के अन्दर ऐक्सीडैन्ट होता है उस क्षेत्र के बिजली अधिकारी की रिपोर्ट होनी चाहिए । दूसरे जो चीफ इलैक्ट्रिकल इंसपैक्टर है उसकी रिपोर्ट चाहिए, तीसरे पुलिस की इन्क्वायरी की रिपोर्ट चाहिए, चौथे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए और पांचवी पशु की क्या कीमत थी उसका सबूत भी चाहिए । जब ये पांच बातें पूरी हो जाती हैं तो तब उसका फैसला किया जाता है ।

चौधरी दल सिंह : सन 1971–72 में 9860 रुपए पशुओं की मृत्यु पर दिया है, सन 1972–73 में 4060 रुपया दिया और

सन 1973–74 में 1710 रुपया दिया गया तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन् 1971–72 में कितने पशुओं का मुआवजा दिया गया, सन 1972–73 में कितने पशुओ का मुआवजा दिया गया और सन 1973–74 में कितने पशुओं की मृत्युं का मुआवजा दिया गया?

श्री बनारसी दास गुप्त : मेरे पास जो आंकड़े है उसके अनुसार, जैसा कि मैंने अभी बतलाया हे कि सन 1971– 72 में 28 केसिज का फैसला हुआ जिसमें से 20 केसिज रिजैक्ट हो गए, 8 केसिज मंजूर हुए उनका कम्पनसैशन दे दिया गया । सन 1972–73 में 17 केसिज का फैसला हुआ जिनमें से 14 रिजैक्ट हुए, तीन का कम्पन– सैशन दे दिया गया । सन 1973– 74 में 45 केसिज का फैसला हुआ, 43 केसिज रिजैक्ट हुए और दो को कम्पनसैशन दे दिया गया ।

श्री अमर सिंह : जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि सन 1971–72 में 20 केसिज रिजैक्ट हुए । क्या उनके रिजैक्ट होने का कारण यह नहीं है कि डिपार्ट– मैंटल इन्क्वायरी में कर्मचारी इंटैरस्ट नहीं लेते हैं और किसान बेचारे को पता नहीं होता तो क्या यह हकीकत है?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नही है, दरअसल बात यह है कि कम्पनसैशन उन ऐक्सीडैन्ट्स पर दिया जाता है जहां बिजली के सिस्टम में खराबी की वजह से किसी पशु की मृत्यु होती है । आमतौर पर यह होता है कि जैसे बिजली

की लाईन जा रही है पोल के साथ स्टे वायर लगी होती है और आप जानते हें कि खासतौर से रु' डी सींग वाली भैंस की आदत होती है कि वह स्टे वायर में सींग फंसा लेती है । जो न्यूटरल वायर होती है वह पावर की वायर को टकरा जाती है जिससे स्टे वायर में करन्ट आ जाता है । इस तरह से डैथ हो जाती है । इस प्रकार से जो डैथ होती है उन पशुओं को मुआवजा नही दिया जाता । अगर बिजली की तार टूट कर या खम्भा टूटकर अलाइड वायर जमीन के ऊपर गिर जाती है तो उसके टच होने से किसी पशु की डैथ होती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है ।

श्री ओमप्रकाश गर्ग: मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो इन्होंने 20 केसिज ऐसे बताए हैं जो रिजैक्ट हुए हें, इनके रिजैक्ट होने के क्या कारण हैं?

श्री बनारसी दास गुप्त : यही कारण हैं जैसे कि हैने अभी आपके सामने बताए हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय फरमाएंमें कि एक साल से पुराने कितने ऐसे केसिज हैं जो बाकी पड़े हैं और उनका कब तक फैसला होने की आशा है?

श्री बनारसी दास गुप्त: इसके बारे में तो क्वैश्चन के जवाब के अन्दर सारी फिर्ग्ज दी हुई हैं कि कितने ऐक्सीडैन्ट्स हुए, कितनों का फैसला हुआ, कितने रिजैक्ट हुए । हिसाब लगाकर बाकी निकाल लें । बाकी अन–डिसाईडिड हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : इनका फैसला कब तक हो जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्तः जब भी फामैंलिटीज कम्पलीट हो जाएंगी ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में यह बताया है कि जितने ऐक्सीडन्ट्स हुए, वे हैं रू 1971– 72 में 303, 1972–73 में 212 और 1973–74 में 210, इनमें से जिन आदमियों की मृत्यु हुई और कम्पनसैशन दिया गया, वे हैंरू 1971–72 में 69, 1972–73 में 47 और 1973–74 में 35 । में मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने 1971–72 में, 1972–73 में और 1973–74 में कितने कितने आदमियों को कम्पनसैशन दिया?

श्री बनारसी दास गुप्त : जैसे कि जवाब के अन्दर बतलाया गया है, 1971–72 के अन्दर 164 नान–फैटल ऐक्सीडैन्ट्स हुए, 139 फैटल ऐक्सीडैन्ट्स हुए और टोटल 303 ऐक्सीडैन्ट्म हुए । 1972–73 में 102 फैटल ऐक्सीडैन्ट्स हुए और 110 नान–फैटल ऐक्सीडैन्ट्स हुए और टोटल 212 हुए । 1973–74 में 175 फैटल ऐक्सीडैन्ट्स हुए और 35 नान–कैटल ऐक्सीडैन्ट्स हुए । 1971–7 2 में ह्यूमैन–बीईग्ज 69 मारे गए, 1972–73 में 47 और 1973–7 4 में 35 मारे गए । कितनों को मुआवजा दिया गया, –हसके बारे में फिर्ग्ज मेरे पास नहीं हैं । कितने आदमियों को

मुआविजा अभी तक दिया गया है, इसके बारे में यदि पूरी इनफर्मेशन सम्मानित सदस्य को चाहिए तो वह उनको सप्लाई की जा सकती है ।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इनके महकमे के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कम्पनसैशन मिला है?

श्री बनारसी दास गुप्तः 1971–72 में 31 ऐम्प्लाईज की मृत्यु हूई, 1972–73 में 27 की और 1973–74 में 35 ऐम्प्लाईज की मृत्यू हुई और जो कम्पनसैशन दिया गया है, वह भी मैं बतला देता हूं । 1971–72 में एक लाख 28 हजार, 1972–73 में 1 लाख 31 हजार और 1973–74 में 97 हजार ।

श्री अमर सिंहः क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि वर्ष 1971–72, 1972– 73 और 1973–74 में बिजली के महकमे की गलतियों की वजह से कितने आदमियों की मृत्यु हुई? – (शोर) –

श्री बनारसी दास गुप्त : क्या जिनको कम्पनसैशन दिया गया है, आप वह पूछना चाहते हैं?

चौधरी दल सिंहः मिनिस्टर साहब ने सवाल के पार्ट 'बी' के जवाब में यह दिया है :–

'The number of such accidents in which deaths of human being occured and the amount of compensation paid to

their next of kin are as follows.—

1971-72 69 1,50,000

तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो 69 आदमियों को 1 लाख 50 हजार का कम्पनसैशन दिया गया है, वह सब को दिया है या कम को दिया है? यदि कम को दिया है तो क्या कारण है कि 69 में से सबको न देकर कम को कम्पनसैशन दिया गया हे?

श्री बनारसी दास गुप्त : मैं इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकता कि जो 69 डैथस हुई हैं, उनमें से कम्पनसैशन सब को दिया गया है या कम को दिया गया है ।

श्री निहाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो बिजली कर्मचारियों की पिछले दिनों हड़ताल थी. उस दौरान में कितने पशु मरे और कितने आदमी मरे?

श्री बनारसी दास गुप्त : इसके लिए सैप्रेट नोटिस चाहिए ।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, गवर्नमैंट कम्पन–सैशन आदमी की मृत्यु पर भी देती है और पशु की मुत्यु पर भी देती है, क्या मन्त्री– महोदय बताएंगे कि इसका क्राइटे– रिया क्या है?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने अभी निवेदन किया, पशु के मूल्य का जब सबूत दे देता है तो उसके आधार पर कम्पनसैशन दे देते है और इसी तरह से इन्सान.

के लिए भी कोई क्राइटेरिया नियत किया गया है । वैसे तो इन्सान की कोई भी कीमत कम होती है लेकिन देख लेते हैं! जो जायज होता है, इन्सान की मुत्यु पर भी मुआवजा दिया जाता है ।

मलिक सतराम दास बतरा : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी आदमी की मुत्यु होते पर क्याकोई ट्रिब्यूनल वगैरा बैठता है?

श्री बनारसी दास गुप्त : नहीं, बिजली बोर्ड फैसला करता है ।

चौधरी फूल सिह कटारिया : इस बात के मद्देनजर कि ज्यादातर इनमें गरीब मजदूर ही मरते हैं, मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या उनको कुछ देते हैं?

श्री बनारसीदास गुप्त : जैसे मैंने अभी बताया, मुआवजा देते हैं ।

चौधरी दल सिंह : मंत्री महोदय ने फरमाया है कि सर्टन फारमैलिटीज हैं जिनको पूरा करना जरूरी है जैसे इलैक्ट्रिसिटी आफिसर इनचार्ज या चीफ इलैक्ट्रिकल इंसपैक्टर की रिपोर्ट और डाक्टरी रिपोर्ट वगैरा, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो केसिज बकाया बताए हैं, उनमें से कितने ऐसे केसिज बाकी हैं जिनके अन्दर वहां के इन्चार्ज की रिपोर्ट नहीं है या चीड इनैक्ट्रिकल इंस्पैक्टर की रिपोर्ट नहीं है या डाक्टर की रिपोर्ट नहीं है?

श्री बनारसी दास गुप्तः इनकी अलग–अलग ब्रेक–अप मेरे पास नहीं है लेकिन इन में से जो भी केसिज बकाया हैं उनमें कमियां रह गई हैं । कुछ में फार्मईलिटीज रह गई हैं इसलिए वे केसिज अन–डिसाईडिड हैं ।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि वे कम्पनसैशन के केसिज डि– साईड करने के बारे में कोई टाईम लिमिट मुकरर्र करने को तैयार हैं कि छरू महीने या एक साल के अन्दर–अन्दर केस का फैसला किया जाए?

श्री बनारसी दास गुप्त : केस डिसाईड करना केवल बिजली बोर्ड पर ही निर्भर नहीं करता । जैसे मैंने अभी पहले कहा कि ये–ये सारी फारमैलिटीज कम्पलीट करनी होती हैं, जो ऐक्सीडैन्ट में इनवाएवड होते है, उनको भी काफी चीजे पूरी करनी होती है । लेकिन यह बात सही है कि ज्यों ही फारमैलिटीज कम्पलीट हो जाती हैं, इमीजिएटली फैसला कर दिया जाता है और कम्पनसैशन दे दिया जाता है ।

लाला रुलिया राम : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे जितने भी आदमी ऐक्सी– डैट्स में मरे हैं, इनमें कोई अफसर भी मरा है या सारे ही गरीब आदमी मरे हैं?

श्री बनारसी दास गुप्त : मेरे पास यह इनफर्मेशन नहीं है ।

चौधरी पीर चन्द : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मैटीरियल और तार वगैरा निकम्मे लगे हैं, कहीं यह वजह तो नही है कि उनके शार्ट होने की वजह से ज्यादा आदमी मरे हे?

श्री बनारसी दास गुप्त : जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है ।

चौधरी दल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि कम्पनसैशन देने का सारा काम खराब इनके महकमे से है । क्या यह सच्चाई नहीं है कि आप यह बात जानते हुए भी कि ठीक वाक्या हुआ है, ठीक किसी आदमी की भैंस मरी है, इंटैन्शनली अवायड करते है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए पैसा कम देना पड़े?

श्री बनारसी दास गुप्त : बजाए इसके कि जान–बूझकर अवायड किया जाए, ऐसी कोशिश की जाती है कि गरीब आदमी को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए और केस का फैसला जल्दी हो ।

Production of Foodgrains and Cotton

***809. Chaudhri Mehar Chand : Will** the Minister for Agriculture be pleased to state the maximum point of achievement reached upto May, 1968 and May, 1974, separately, in terms of tonnage/number of bales in respect of production of foodgrains and production of cotton, respectively

?

कृषि मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : खाद्यान्न तथा कपास के उत्पादन का मई, 1968 तथा मई, 1974 तक प्राप्त किया गया अधिकतम स्तर निम्न प्रकार है :––

क्रमांक	आईटम	ईकाई	मई 1988 तक	मई 1974 तक
1	खाद्यान्न	000 टन	3, 970	4, 771
			(1967– 68)	(1970–7 1)
2	कपास	000 गांठें	374	450
			(1967– 68)	(1973–74)

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि 1973–74 दं गन्दम और कपास की प्रोक्योरमैंट का निशाना कितना–कितना था?

चौधरी भजन लालः यह तो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बताएंगे ।

Jawahar Lal Nehru Lift Irrigation Scheme

***822. Malik Sat Ram Das Batra**

Will the Minister for Irrigation **Chaudhri Phul Singh Kataria**

and Power be please to state —

(a) the details of the Jawahar Lal Nehru Lift Irrigation Scheme
which are in hand or which are likely to be taken in hand ;

(b) the time by which the project is likely to be completed;

(c) the area likely to be irrigated by the said project when the same is completed; and

(d) the estimated increase in the annual production of foodgrain ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) The details of the Pandit Jawahar Lal Nehru. Lift Irrigation Scheme are as under :-

Gross area	7,15,910 acres
Culturable commanded area	5,72,728 acres
Authorised permissible area	3,55,091 acres
(with 62 % intensity)	
Cost Rs. 30 crores	

Villages covered 800 Nos.

Pump houses 104 Nos.

Length

(i) New Channels 600 miles

(ii) Remodelling

existing channels 315 miles

Benefit Cost Ration

With 6 %interest 3.19:1

with 10% interest 2.65:1

(b) **Three** years from the date it is taken up in hand for execution.

(c) 3,55,091 acres.

(d) The additional crops likely to be produced as a result of the scheme will be worth about Rs. 17 crores.

मलिक सतराम दास बतराः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस लिपट की मैक्सीमम ऊंचाई कितनी है और इसकी कब तक चलाने की संभावना है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, इसकी मैक्सीमम लिमिट 571 फीट है जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा ऊंची. होगी और इसको जल्दी से जल्दी शुरू करने का विचार है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय. बतलाने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम पर कुल कितना खर्चा करने का अनुमान है और अब तक कितना हो चुका है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब इस स्कीम पर 30 करोड़ रुपया लगेगा और एक करोड़ से अधिक रुपया हम झज्जर लिपट स्कीम पर खर्च कर चुके हैं जो इसी स्कीम का अंग है ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या वजीर साहब बताने की कृपा करेंगे कि 3 लाख 55 हजार 091 एकड़ में से रोहतक का कितना हिस्सा है और महेंद्रगढ का कितना हिस्सा है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब ऐग्रीकल्चरल लैंड पूरिया जिला महेंद्रगढ का 3 लाख 61 हजार एकड़, गुडगांवा का 2 लाख 45 हजार और रोहतक का एक लाख दस हजार एकड़ है ।

चौधरी मेहर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि रिवाडी लिपट इरीगेशन स्कीम इंडिपेन्डेन्ट स्कीम है या किसी और स्कीम का पार्ट है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब इस सवाल से यह कनेक्टिड नही है ।

चौधरी दल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम के लिए पानी किन जराए से लाया जाएगा? किस–किस नहर से इसको पानी दिया जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब सबसे पहले दरिया जमुना का फलड वाटर इस्तेमाल किय। जाएगा और जब रावी व्यास के पानी का फैसला हो जाएगा तो हमारा विचार इसको परेनियल करने का है ।

श्रीमती लेखवती जैन : क्या मंत्री महोदय बताने की कृ पा करेंगे कि जिला अम्बाला में जो जनसूयी हैडज की लिपट स्कीम है उससे अम्बाला सिटी को पानी दिया जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, अम्बाला जिले के लिए एक लिफ्ट स्कीम बनी है और गवर्नमैंट उस पर विचार कर रही है । इस स्कीम से अम्बाला जिले के 80 गांव कवर होंगे ।

चौधरी दल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या अम्बाला में फ्लड वाटर लाने का कोई विचार है?

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

चौधरी चांद राम : क्या मत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जमुना पर जो डैम बनाने की स्कीम थी क्या उसको बनाने का विचार तरक कर दिया गया है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब जमुना के ऊपर डैम बनाने की जो स्कीम है वह यू०पी० गवर्नमैंट के साथ बातचीत होने के बाद ही बनाया जाएगा लेकिन उससे पहले हम फ्लड वाटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं और तब तक रावी व्यास का पानी आ जाएगा ।

श्रीमती लेखवती जैन : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जनसूयी लिफ्ट स्कीम से अम्बाला सिटी को भी पानी मिलेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, शहर को वाटर सप्लाई का कोई मामला नहीं है ।

Flood water of River Yamuna

***834. Shri Om Parkash Garg** Will the Minister for Irrigation

and Power be pleased to state—

(a) the names of villages alongwith its area which used to be adversely affected by the flood water of River Yamuna upto May, 1968;

(b) the steps taken by the Government to divert this flood water to utilise it in drought affected area since May, 1968; and

(c) the names of villages alongwith it area which were benefited by the flood water ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) A Statement is placed on the Table of the House(Statement I).

(b) The flood waters of river Yamuna are being utilised for irrigation in the drought affected areas through lift irrigation scheme.

(c) A statement is placed on the Table of the House (Statement II). Information about area in each village, which benefited from the flood waters, is not yet available.

STATEMENT

Serial No.	Name of Village	Approx. area liable to floods. (in Acres)
	District Sonepat.	
1	Bagah	2,100
2	Chandauli	392
3	Pabnera	420
4	Chyapur	637
5	Rasulpur	237

6	Mimarpur	847
7	Tikola	372
8	Zainpur	908
9	Bakhtawarpur	362
10	Garhi Bakhtawarpur	172
11	Machraula	351
12	Asadpur	585
13	Nadnaur	807
14	Barauli	1,141
15	Palra	498
16	Mehandipur	542
17	Jajal	316
18	Jhundpur	1.007
19	Tanda	
20	Manoli	316
21	Khurampur	297
22	Baqipur	260
23	Basantpur	195
24	Dhisra	507

25	Behera	19
	Total :	13,081
	District Karnal.	
26	Raksera	2,280
27	Bilaspur	360
28	Kathwaia	1,840
29	Nabipur	368
30	Khuajpura	736
31	Bazidpur	219
32	Nalwi Khurd	336
33	Nalwi Kalan	245
34	Chak Bari	223
35	Dibarki	902
36	Mustafabad	456
37	Dibarkipur	3 65
38	Chandipur	98
39	Nasirpur	66
40	Dabkauli Kalan	537
41	Chaya	

42	Chupur	225
43	Shergarh Tapu	365
44	Mohay-Ud-Dinpur	146
45	Chandipur par	125
46	Mohay Dinpur	530
47	Chhapra Khera	518
48	Mirghan	555
49	Nagla Mogha	925
50	Dhakwala	807
51	Dilaura	
52	Anihera	
53	Nanglora Zadid	
54	Maglora Kadan	
55	Mugbal Majra	316
56	Jassuli	*
57	Kanda Kalan..	280
58	Khukani	348
59	Hansu Majra	393

60	Chauganwah	288
61	Chandraon	948
62	Said Chappra	265
63	Zebti Chappar	*
64	Manehra	760
65	Ran Majra	*
66	Goela Khilid	1,182
67	Dhansauli	427
	Total :	19,454
	District Kurukshetra.	
68	Sandhala ..	354
69	Sandhalai	357
70	Kherora	
71	Gunthala	1,748
	Total :	2,459
	District Gurgaon.	
	Tehsil Ballabgarh.	
72	Basantpur	32
73	Agwanpur	1,026

74	Salarpur	559
75	Asalatpur	347
76	Dadsia	807
77	Nagrola	43
78	Gulrawali	761
79	Yakutpur	109
80	Gulawali	260
81	Kalpur	338
82	Mohbatpur	591
83	Baskola	32
84	Rajpur Kalan	148
85	Phulera	216
86	Shikargarh	953
87	Kindhi	267
88	Naurangbad	61
89	Ghasi Sarnstpur	300
90	Aminpur	398
91	Moripur	101
92	Kabulpur Khadar	609

93	Ghirsi	447
94	Manjhawali	1,097
95	Akbarpur	66
96	Jagganpur	226
97	Mazoamabad	260
98	Shekhpur	188
99	Gharora	1,164
100	Garh 8 Begampur	178
101	Naurangpur	40
102	Chhainsa	150
103	Belo Kalan	483
104	Bela Kund	282
105	Chandpur	512
106	Nangla Majra	200
	District Gurgaon.	
Tehsil	Palwal.	
107	Latipur	150

108	Rajupur	120
109	Doetpur	100
110	Shekhupur	125
111	Perukha..	80
112	Nangla Sunehari..	90
113	Bhur	100
114	Bholra	125
115	Solara..	150
116	Sherli..	150
117	Bhbhoka..	80
118	Baghpur	150
119	Sahapura..	150
120	Arva..	150
121	Ismailpur	
122	Dalalpur	*
123	Nangal Brahman	
	Total :	14,076

District-wise Areas effected by flood water of River Yamuna upto May, 1968.

1	Sonepat	13,081
2	Karnal	19,454
3	Kurukshetra	2,459
4	Gurgaon	14,076
	Total :	49,070

STATEMENT-II

Jui Lift irrigation Scheme

1. Deoser
2. Malws
3. Lohani
4. Kasumabi
5. Keharpura
6. Titani
7. Hatampura
8. Chainpura
9. Asalwas Dobia
10. Asalwas Marhata
11. Goalpura
12. Haripura
13. Bhakra

14. Lalhana
15. Nakta
16. Leghana Bhanan
17. Patwan Bas
18. Dhanger 19, Legha Hetman
20. Dhani Barahmana
21. Dhani Sultan
22. Goalagarh
23. Jui Khurd
24. Jui Kalan
25. Majra Khairpura
26. Nangla
27. Bamniwali
28. Kairu
29. Chandawas
30. Baijanabas
31. Khariabas
32. Khaparwas
33. Dhani Seodan
34. Dhab Dhani

35. Lalawas
36. Pokharwas
37. Indiwali
38. Jhundawas
39. Babarwas
40. Simliwas
41. Bardu Dhiraj
42. Bardupuran
43. Bardu Mughal
44. Bardu Jogi
45. Bardu China
46. Lidianwali
47. Jodawas
48. Deorala
49. Obra
50. Barran
51. Bidnoi
52. Ladawas
53. Nonsar
54. Kasni Khurd

55. Kansi Kalan

56. Serla

57. Gokalpura

58. Surpura Khurd

59. Surpura Kalan

60. Patwan

61. Girawa

62. Bahel

63. Haribas

64. Budhera

Loharu Lift Irrigation Scheme

1. Kheri Pura

2. Kapoori

3. Dadri

4. Ghasola

5. Charkhi

6. Bhagvi

7. Shamaspur

8. Tikan Kalan

9. Kalyan

10. Atela Kalan
11. Chhapar
12. Birhi Kalan
13. Barsana
14. Narsinghwas
15. Nandgaon
16. Atela Khurd
17. Doka Mulgi
18. Doka Dina
19. Harodi
20. Umarwas
21. Jitpura
22. Tiwala
23. Mandoli
24. Mandola
25. Neemariwali
26. Kitlana
27. Roopgarh
28. Kheri Ahmedpur
29. Pertia Khear

30. Gagarwas
31. Dagroli
32. Kankohra
33. Rudrol
34. Kishkanda
35. Nanda
36. Dhanasri
37. Lad
38. Nimar Banesara
39. Bhikara
40. Rawa Id hi
41. Akhrarpura
42. Manakwas
43. Rasiwas
44. Doki
45. Mandi Haria
46. Bindraban
47. Haroda Khurd
48. Haroda Kalan
49. Rambas

50. Bella 51, Kabja Nagar

52. Pichopa Khurd

53. Gudana

54. Jhojhu Khurd

55. Jewli

56. Dandaw

57. Gopi

58. Kakroli Sardara

59. Bhopali

60. Shamkalan

61. Hui

62. Dalwas

63. Chandwas

64. Kari Dharni

65. Hansowas Khurd

66. Gobindpura

67. Bhandwa

68. Dadhwana

69. Khorra

70. Ahmadbas

71. Sohansra
72. Phartia
73. Loharu
74. Phartia Tal
75. Singani
76. Kharkari
77. Dhigwa
78. Nekipur
79. Pahari
80. Budheri
81. Paju
82. Sarsi
83. Sorra Kadim
84. Sorra Sahajamanpur
85. Patwan
86. Behal
87. Sahuwas
88. Neemar
89. Gokal
90. Shampura

91. Kidara

92. Kaliawas

93. Imlota

Siwani lift Irrigation Scheme

Stage-I

1. Siwani

2. Gurera

3. Dhani Salanwal

4. Deosar

5. Rupana

6. Dhulkot

7. Khera

8. Lilas

9. Naloi

10. Kikral

11. Rawat-Khera

12. Talwandi Ruka

13. Talwandi Badhshapur

14. Barwa

15. Talori

16. Dhani Rumaut

17. Dhani Nismat-pura

18. Charaud

Stage-II

1. Mohla

2. Sherpura

3. Gandawas

4. Jainawas

5. Daha

6. Saharwa

7. Jhulli

8. Bhariawas

9. Miran

10. Dhani Daryapur

11. Chanana

12. Daryapur

13. Sidhan

14. Behra

15. Gadhawa

16. Kharkhari

17. Bhakhtawarpura

18. Dhani Miran

19. Panjokhra

20. Badaula

21. Dadalwala

22. Dhani Katwar

23. Pataudi

24. Sidhan

25. Bushan Chinana

26. Khawa

27. Dhirja Dhani

28. Bhillari Dhani

Jhajjar Lift Irrigation Scheme

1. Matanhail

2. Madal Shahpur

3. Akheri Madanpur

4. Ruriawas

5. Nauganwah

6. Sundrathi

7. Jhanswah

8. Jharli

9. Sasrauli

10. Maliawas

11. Biror

12. Silanga

13. Dhilanwas

14. Bazidpur Tapa biror

15. Kachharauli

16. Manakwas

17. Kaliawas

18. Shamspur

19. Dhani

20. Patuwas

21. Nimli

Excise and Taxation Department

***848. Chaudbri Pokar Ram Godara:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to re-organise the Excise and Taxation Department on more scientific lines for better realisation of taxes and efficient administration ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): हां ।

Dental Clinics

***854. Shri Behari Lal Balmiki :** With the Minister for Industries be pleased to State—

(a) the district-wise total' number of Hospitals in the State where the dental clinics existed as on 1st May, 1969 together with the district-wise total number of Hospitals where such clinics have been provided during the period from 1st May, 1969 to 31st December, 1973; and

(b) whether the Government intends to provide dental clinics in the remaining Hospitals in the State during the next financial year; if so, the names of such Hospitals ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी):

(ए) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(बी) सरकार की यह नीति है कि सभी 25 बिस्तर वाले हस्पतालों में डैंटल क्लीनिक्स प्रोवाइड किए जाए बशर्ते कि फण्डज उपकब्ध हों । पांचवीं पंच– वर्षीय योजना का प्रोग्राम अभी तक फाइनेलाइज नही किया गया है ।

विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	उन हस्पतालों की	उन हस्पतालों की

		संख्या जहां 1–5–69 को दंतक क्लीनिक्श उपलब्ध थे ।	संख्या जहां दंतक क्लीनिक्श की सुविधा 1– 5–69 से 31– 12–73 के दौरान प्रदान की गई, निम्नलिखित है ––
1	अम्बाला	2	3
2	करनाल	3	
3	हिसार	1	4
4	रोहतक	3	2
5	महेन्द्रगढ	1	1
6	गुडगावां	3	3
7	जीन्द	1	2
8	भिवानी		4
9	कुरुक्षेत्र		1
10	सोनीपत		1

***861. Shri K. N. Gulati :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether it is a fact that old Faridabad Police Post is attached with Police Station No. 5;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to attach the said Police Post with Police Station in Sector 15; and

(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative the time by which the said Police Post is likely to be attached with the Police Station in Sector 15 ?

State Minister for Home and Health (Shrimati Sharda Rani):

(a) Yes.

(b) No.

(c) In view of reply to part (b) above, question does not arise:

श्री के ० एन ० गुलाटी : स्पीकर साहब, यह डिमान्ड उस इलाके की जैनविन डिमान्ड है । क्या आनरेबल होम मिनिस्टर खुद इस इलाके कीं. डिमान्ड को हल करने की कृपा करेंगे?

गृह मंत्री (श्री के ० एल ० पोसवाल) : स्पीकर साहब, हमने एग्जामिन करा लिया है जो अरेन्जमैंट चल रहा है वह बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरी बार जब गुडगांवा जाऊंगा तो फिर देख लूगा ।

Installation of Tubewells in Salhawas Constituency.

***885. Chaudhri Ram Parshad :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the State Government to instal deep bore tubewells in the Salhawas constituency in general and particularly in the villages of Shamnagar, Tomana, Bhurthala, Sureli, Bahua and Nahar ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): Yes. The area under Sahlawas constituency stands generally covered under the scheme of installing 43 Nos. direct irrigation tubewells in Krishnawati belt. However, out of the villages mentioned; wells have been drilled at Bahu and Nahar.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कब तक चालू हो जाएगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिह चट्ठा : स्पीकर साहब, 37 इन्सटाल कर चुके हैं, 43 करने हैं और जो 37 इन्सटाल हुए हैं उनमें से 31 वर्क कर रहे है ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि साल्हावास में डीप ट्यूबवैल्ज लगाने जा रहे हैं । इसी प्रकार के और भी गांव जीद में है जसे झांज, दरिया– वाला, झरोली आदि जहां बिल्कूल खारा पानी है, क्या वहां पर डीप ट्यूबवैल बोर किए जाएगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिँह चट्ठा : स्पीकर साहब, इस बात को एग्जामिन किया जाएगा । जहां जनता की डिमान्ड ठीक ढंग से होगी, जहां ट्यूबवैल्ज लग सकेंगे, अन्डर ग्राउन्ड वाटर ठीक होगा वहां कोशिश की जाएगी की डीप ट्यूबवैल्ज लगाए जाएं ।

सिचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : स्पीकर साहब, जहां जनता की डिमान्ड होगी वहां तो हम कोशिश करेंगे, जांच करवाएंगे, लेकिन जहां तक हमारे डिपार्टमेंट का ताल्लुक है वह उस बात की पूरी जांच पड़ताल कर रहा है कि जहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर अवेलेबल होगा हम उसको ऐक्सप्लोर करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, बवानी खेडा तहसील में पानी बहुत कम है । क्या मन्त्री' महोदय बताने की कृपा करेगे कि वहां पर डीप टयूबवैल बोर करने तथा टैस्टिग की कोई स्कीम है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, किसी. पर्टीकुलर एरिया के बारे में तो मैं नही कह सकता लेकिन जैसा कि गुप्ता जी. ने बताया है कि कोशिश करेंगे और जहा. स्वीट वाटर अवेलेबल होगा उसको टैप बिना जाएगा ।

श्री गौरी शंकर : स्पीकर साहब नरवाना तहसील में डीप ट्यूबवेल बोरिंग न के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वहा डीप ट्यूबवैल बोर किए जाएगे । क्या मिनिस्टर साहब, बताने की कृपा करेंगे कि वहां कब तक काम शु रू कर दिया जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, नरवाना तहसील में कई जगह काम हुआ है औंर अगर मैम्बर साहब, किसी औररू जगह के लिए कहगे तो हम उस बात को एग्जामिन करवाने के लिए तैयार हैं ।

राव अभय सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि रिवाडी तहसील जहां पानी खारा है वहां डीप बोरिंग करवाकर एक्सपैरीमैंट कीं कोई स्कीम है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, मैम्बर साहेबान ने कहा कि पानी खारी है, अगर पानी. खारी हो तो हम फिर भी इसकी कोशिश करेंगे लेकिन अगर मीठा पानी होगा तो हम जरूर ऐसा एक्सपैरीमेन्ट करेंगे ।

Water Works Schemes

***892. Chaudhri Phul Singh Kataria :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to start water works schemes for the villages. Rathanthal, Koka, Kalan, Asadpur Khera and Dhakla in Tehsil Jhajjar; if so, the time by which the scheme is likely to start functioning; and

(b) the steps taken by the Government to complete the water works scheme under Scheme 'C' in Nahar Block of Tehsil Jhajjar for the villages Khanpur, Khanpur Kalan, Baula and Navagaon ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(क) जी हां ।

(1) रत्नथल, कोका, कोलाना तथा असदपुरखेडा की एक 14. 10 लाख रुपये की योजना तैयार की गई है ।

(2) ग्राम डाकला के लिए एक 5.07 लाख रुपये की योजना तयार की गई है यह योजनाएं राज्य सफाई बोर्ड ने अपनी 7–6– 74 की मीटिंग में प्रशासकीय अनुमोदित कर दी' हैं । इन योजनाओं को कोई धनराशि नही दी गई है । और इन योजनाओं का पूर्ण होना पूर्णतया धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

(ख)

(1) खानपुर–कलां तथा खानपुर–खुर्द ग्रामों के लिए एक 1.54 लाख रुपये की योजना राज्य सफाई बोर्ड ने प्रशासकीय अनुमोदित की थी । इस योजना को अब तक 84 हजार रुपये उपलब्ध किया गया है और काम प्रगति पर है ।

(2) ग्राम भाला के लिए तुक योजना 5.98 लाख रुपये की बनाकर प्रशासकीय अनुमति तथा धनराशि उपलब्ध किए जाने के लिए प्रोसैस की गई है ।

(3) गांव नया–गांव नाहर 'सी' ग्रामों की ग्रुप योजना में शामिल है । जोकि प्रगति पर है ।

चौधरी फूल सिंह : कटारिया स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदया ने जो ये तीन चार गांव बताए है, ये ठाकुरों से सबंधित है, क्या वे बतलाने की कृपा करेगी कि इन गांवो को पानी मुहैया करने की कोई सरकार की योजना विचाराधीन है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, यह देखकर पानी नही दिया जाता कि यह ठाकुरों का गांव है, यह जाटों का गांव है लेकिन जहां पर पानी की कठिनाई हो वहां पर पानी दिया जाता है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि ठाकुरों के हमारे यहा गांव में औरतें पानी नही लाती बल्कि पुरुष ही पानी लाते हैं, मैं तो उन बेचारों की मदद करना चाहता हू–– (हंसी) ––इसलिए उन गांव में जल्द से जल्द इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार कोई कदम उठाने जा रही है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, जहां पर औरतें पानी नही लातीं वहां हम तो चाहते हे कि औरतें पानी लाएं । फिर तो मेरा ख्याल है कि इनको और भी पानी नही देना चाहिए ताकि औरतें बाहर निकलना तो शुरू करे ।

सिचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, जहां पर यह राजपूत पुरुषों का ध्यान रखती हैं वहां पर यह औरतों का भी ध्यान रखती हैं ।

Starred Question No. 903

As the Hon. Member was not present, this question was not put.

Irrigated Land

***913. Shri Siri Kishan Dass :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total acreage of canal irrigated land in the State in the year 1968 and the area actually irrigated during the said year;

(b) the area of land under irrigation command and the area actually irrigated in the year 1974; and

(c) the total investment made by the Government in improving canal system in the state si nce 1968 to-date ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) The total acreage of canal irrigated land in the year 1968 and the area actually irrigated during the said year was 5673,310 acres and 33,93,095 acres respectively.

(b) The area of land under irrigation command and the area actually irrigated in the year 1974 is 63,40,471 acres and 40,88,255 acres respectively. The figures for area actually irrigated in 1974 is tentative.

(c) Total investment made by the Government in improving canal systems in the State since 1968 is Rs. 5390.53 lakhs. The expenditure incurred is for constructing

new canal systems and for lining and remodelling the existing canal systems.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौन–कौन सी कैनाल्ज है जो इस साल के आखिर तक चालू हो जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह : चट्ठा स्पीकर साहब, इस बारे में हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि जुई कैनाल चालू हो चुकी है, इन्दिरा गांधी कैनाल चालू हो चुकी है, बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती कैनाल चालू हो चुकी है । झज्जर लिपट इरीगेशन स्कीम हमारी चालू हो चुकी है, बाकी बहुत सी नहरे ऐसी है जिनकी हमने लाईनिग की हुई है, वह भी चालू हो चुकी है, शेष कुछ का काम अभी पैडिंग पड़ा हुआ है ।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो रकम बताई गई है यह रकम किन–किन स्कींमज पर खर्च की गई है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, यह रकम भाखडा कैनाल सिस्टम, वैस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम, की रि–मॉडलिग पर, गुड़गांव कैनाल पर, जुई कैनाल पर । लोहारू, सिवानी कैनाल की स्टेज 1, 2, 3, 4 व आगमैंटेशन कै नाल तथा आगरा कैनालज पर खर्च की गई है ।

Panchayat Samitis

***933. Comrade Ram Kishan Azad : Will the Minister for Development** be pleased to state—

(a) the total number of members of Panchayats and Panchayat Samitis in the State as on the 31st March, 1974 alongwith the total number of members belonging to Scheduled Castes and Backward Classes and lady members, separately ; and

(b) the total acreage of common land controlled by the Panchayat and Panchayat Samitis in the State as on the 31st March, 1974 and the approximate income accrued to the said institutions during the years 1972-73 and 1973-74, separately ?

Mr. Speaker : Extension has been asked for sending reply to this question, which has been granted. The communication received by me in this connection is as follows—

"Col. Maim Singh D.O. No. DP—GI-74/26222

Development Minister, Haryana. Dated, Chandigarh the 12th

July, 1974.

Subject :—Starred Assembly Question No . 933-asked by Comrade Ram Kishan Azad, M. L. A.

My dear Chaudhri Sahib,

1 would refer you to the Starred Assembly Question

No. 933 appearing in the list of questions for the 15th July, 1974 in the name of Comrade Ram Kishan Azad, M.L.A.

2. The reply to the question is not ready. The information is being collected from the Block Development and Panchayat Officers through the Deputy Commissioners which would take some' time. I would, therefore, request you to extend the time to reply this question under proviso (2) of Rule 41 (ii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, 1950. This question may be included in the list of questions to be replied after 15th August, 1974.

Yours sincerely,

Sd/-

(Maha Singh)

Shri Sarup Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Income and expenditure of Haryana Roadways

***934. Shri Hari Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total capital investment made on the Haryana Roadways as on the 31st March, 1974 ;

(b) the total income to the State from the said

Roadways during the years 1972-73 and 1973-74, separately; and

(c) the approximate increase in the revenue of per vehicle during the last five years ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) 14. 53 करोड़ रुपये

(ख) वर्ष आय (करोड़ रुपयों में)

1972— 73 13.62

1973—74 16.45

(ग) वर्ष प्रति गाड़ी आय में वार्षिक वृद्धि (रुपयों में)

1969— 70 3983

1970—71 10258

1971—72 4299

1972—73 7536

1973— 74 7658

श्री हरि सिंह : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेगे कि 31 मार्च, 1975 तक हरियाणा रोड़वेज पर कितना खर्चा किए जाने की सम्भावना है?

परिवहन मंत्री (कर्नल महा सिंह) : यह बसिज की अवेलेबिलिटी पर है । हम ज्यादा से ज्यादा चेसिज लेगे बशर्ते कि हमारे पास फण्डज उपलब्ध हों ।

चौधरी राम लाल वधवा : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगे कि यह जो इन्होंने रकम बताई है, उसमें गाड़ियों की डैप्रीसीऐशन जो निकाली जाती है, वह किस हिसाब से निकाली जाती है?

कर्नल महा सिंह : स्पीकर साहब, डैप्रिसीऐशन को हमारा एक फार्मूला है, उसके मुताबिक निकाली जाती है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बतलाने की कृपा करेगे कि हमारे खर्चे की बनिस्बत हमारी बसों की लाई–फ बहुत कम है, अगर पूसा है तो क्या सरकार बसों की लाईफ बढ़ाने की कोई स्कीम रखती है, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है?

कर्नल महा सिंह: स्पीकर साहब, इसके लिए तजवीज सोची गई है, इसलिए इनकी लाईफ अच्छी मेन्टीनैस करके बढ़ाई जाएगी । इसके लिए डायरैक्ट इंजीनियर भर्ती किए जाएंगे । पहले तो डिपार्टमैंटल परमोशन के थ्रू हैल्पर वगैरह को ही परमोट कर

दिया जाता था जिसके कारण गाडियों की अच्छी मेन्टीनैस नहीं होती थी । अतः अब जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, हरियाणा रोडवेज में बसों की शार्टेज है जिसके लिए जनता बहुत दुःखी है । क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 1974– 75 में बसों की शार्टेज को पूरा किया जाएगा? क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन है?

कर्नल महा सिंह : स्पीकर साहब, इसकी बाबत पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को बसों की शार्टेज की वजह से कोई दिक्कत न हो और हमारी सरकार की यह नीति है कि ज्यादा से ज्यादा बसें खरीदी जाएं और रोडज पर लाई जाए । इस बारे में मैं खुद भी अशोक ले –लैड, मद्रास में मैनुफैक्चरर्ज के पास गया था । हमें गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से कोटा अलाट किया जाता है इसी वजह से यह दिक्कत पेश आ रहीहै ।

श्री जगजीत सिंह : टिक्का स्पीकर साहब, जैसा कि हमारा एरिया नारायणगढ है उसके लिए कह दिया जाता है कि रूट छोटा है बसों की कमी है, इसलिए वहां पुरानी बसों से ही काम चला दिया जाता हए, तो क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेगे कि जो नई बसें आएंगी, उन ने से हमारे अम्बाला किला को भी हिस्सा दिया जाएगा?

कर्नल महा सिंहः स्पीकर साहब, इनका हिस्सा पहले ही दिया जा रहा है और अभी भी अम्बाला किले में सबसे ज्यादा बसें चल रही हैं ।

श्री के ० एन ० गुलाटी : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब बताएंगे कि प्राईवेट बसों का मुनाफा देखते हुए गवर्नमैंट की बसे जितनी चलती हैं उनकी मुनाफे की परसैन्टेज कम नहीं हे ।

कर्नल महा सिंह : इस वक्त प्राइवेट बसों के साथ मुकाबला तो नही किया जा सकता क्योंकि मेरे पास उनके आंकड़े नही है लेकिन मैं इतना ही कह सकता हू कि हर साल हमारी मुनाफे कीं परसैन्टेज बढती गई है जैसा किं मैं पहले भी. बता चुका हूं ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या वजीर साहब बताएंगे कि बसों पर जो इनवैस्ट– मैट की गई हए उस की रिटर्न किस रेट से आई है?

कर्नल महा सिंह : इस साल 13 परसैन्ट हमारी फलुटि की स्टैरन्थ बड़ी है और रिटर्न हमारी 21 परसैण्ट है ।

चौधरी राम जी लाल डागरः क्या वजीर साहब बताएंगे कि गुड़गांव डिपो में और पलवल डिपो में खड़ी रहने वाली गाड़ियों की संख्या ज्यादा है या रोड पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या ज्यादा है?

कर्नल महा सिंह : रोड पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या वजीर साहब बताएंगे कि अम्बाला जिला में कितनी नई गाड़ियां है और कितनी पुरानी हैं और उनकी ब्रेकडाऊन की परसैन्टेज क्या दैर?

कर्नल महा सिंह : स्पीकर साहब हरियाणा रोडवेज में जितनी बसें हैं उनमें आठ साल से ज्यादा लाईफ की सिर्फ दो एयरकन्डीशन्ड बसें है, बाकी सब आठ साल से कम लाईफ की हैं और उन में भी 90 फीसदी 6 साल से कम लाईफ की कुछ ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि डैप्रिसिएशन वर्कआउट करने का क्या प्रोसीजर अडाप्ट किया जाता है और आया वह रीजनेबल भी है?

कर्नल महा सिंह : वह रीजनेबल है लेकिन डिटेल्ज में तो मैं डिपार्टमैंट से हासिल करके ही बची सकूंगा ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री साहब बताएंगे कि जब इन की आमदन बढ़ी है तो सरकार ड्राईवरों और कण्डक्टरों को मकान बनाकर देने की सहूलत देने का इरादा रखती है ।

कर्नल महा सिंह : सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करती हैं । पिछले सालोंमें हमने उनको बहुत फैसेलिटीज दी हैं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या वजीर साहब बताएंगे कि जब बसों से आमदन बढी है तो उस के साथ–साथ आप बस स्टैण्ड भी बढ़ाने का प्रबन्ध कर रहे हैं?

कर्नल महा सिंह : हां जी, बस स्टैण्ड और भी बनाए जा रहे हैं लेकिन मैं एक चीज मैंबर साहिबान की इनफुर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि आमदनी के साथ–साथ खर्च भी बढ्ता जा रहा है क्योंकि तेल और दूसरी सब चीजों कीं कीमत बढ्ती जा रही है

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि हरियाणा के हर उस गांव को जो पक्की सडक से जुड़ा हुआ है बसों की फैसिलिटी दी जाएगी?

कर्नल महा सिंह : सरकार का इरादा तो है । इसके लिए जल्दी ही कोशिश की जाएगी ।

श्री के० एन ० गुलाटी : क्या वजीर साहब बताएंगे कि सरकार की जो टोटल नम्बर आफ बसें हैं उन में से कितने परसैन्ट बसें वर्कशाप में खड़ी रहती हें?

कर्नल महा सिंह : बहुत कम परसैन्टेज में बसें वर्कशाप में खड़ी रहती हैं, हमारी 90 फीसदी बसें रोड पर रहती हैं ।

मलिक सत राम दास बतरा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि रोडवेज में ऐसे कितने केसिज हुए है कि रात को जब ड्राईवर और कण्डक्टर अड्डो पर पहुंच कर सोए तो उन के थैले गुम हो गए?

कर्नल महा सिंहः इसके लिए नोटिस चाहिए ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि सन 1968 में किराया क्या था और अब किराया पर माईल क्या है?

कर्नल महा सिंहः स्पीकर साहब 1968 के बाद एक दफा किराया सन 1971 में बड़ा था और अब फिर 1974 में बढ़ाया है और मैं यह बात भी बताना मुनासिब समझता हूं कि यहां पर और सट्टेस के मुकाबले में किराया ज्यादा नहीं बढ़ा है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बताएंगे कि कैथल डिपो में कितनी बसें हैं और वहां पर कितनी नई बसें और आ रही हैं?

कर्नल महा सिंह : स्पीकर साहब वह अभी नया डिपो बन रहा है और अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है इसलिए असल आंकड़े नहीं दिए जा सकते लेकिन मैं इस वक्त इतना ही बता सकता हूं कि अन्दाजन 100 के करीब बसों से वह डिपो शुरू

किया जाएगा । हमारी जब नई बसें आती हैं तो जरूरत के मुताबिक सब–डिपुओं को दी जाती हैं । '

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या वजीर साहब बताएगे कि जहां पर पहले सब–डिपो हो, उस को डिपो बनाने का क्या क्राइटेरिया होता हे?

कर्नल महा सिंह : स्पीकर साहब जहां पर बसें ज्यादा हो जाएं और बड़ी भारी कम्यूनिकेशन होती है वहां पर सब–डिपो को डिपो बना देते हैं । अभी हम ने करनाल से अलग करके कैथल को भी डिपो बना दिया है क्योंकि वहां पर कम्यूनिकेशन ज्यादा थी ।

चौधरी पीर चन्दः क्या वजीर साहब बताएंगे कि जैसा रोडवेज को मुनाफा हो रहा है उस के हिसाब से मुलाजमों को इन्क्रीमैंट्स वगैरा भी देंगे?

कर्नल महा सिंहः स्पीकर साहब मुनाफा नही, मैंने रिसीट्स बताई हैं, रिसीट्स जो हैं वह टोटल मुनाफा नहीं होता ।

Mr. Speaker : There have been a large number of supplementaries on this question. Next question please.

Panchayats and Panchayat Samitis

***935. Rao Abhai Singh** Will the Minister for Development be pleased to state the total number of Panchayats and Panchayat Samitis, in the State as on 31st

March, 1974 ?

Development Minister (Col. Maha Singh) : In Haryana State, the number of Panchayats and Panchayat Samitis, as on 31st March, 1974, was 4945 and 83 respectively.

Termination Notices to Doctors

***924. Shri Girish Chander Joshi** **:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any termination notices are being given to the doctors appointed on ad-hoc basis in the State; and

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the steps, if any, being taken by the Government for providing employment to all such doctors?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(क) जी हां, 99 डाक्टरों को, जो तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे है सेवा से निकाले जाने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं ।

(ख) कोई नही ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि जिन डाक्टर्ज को नोटिस दिए गए हैं उन में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हें?

श्रीमती शारदा रानीः स्पीकर साहब यह फिर्ग्ज तो इस वक्त मेरे पास हैं नहीं ।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि उन डाक्टरों को जवाब देने का क्या कारण है?

श्रीमती शारदा रानी : पब्लिक सर्विस कमिशन से सिलैक्ट होकर 328 डाक्टर हमारे पास आ गए थे और इनकी रैगुलर सिलैक्शन हुई है । जिन डाक्टरो को जवाब दिया गया है वह पहले एडहाक बेसिज पर काम कर रहे थे

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डाक्टर्ज ने बेरोजगारी न कैले, क्या सरकार ने जो डाक्टरों को नोटिस दिए है उनको विदड्रॉ करने की सम्भावना है?

श्रीमती शारदा रानी : जी नही ।

श्री ओम प्रकाश गर्गः क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि ये डाक्टर जिन को. जवाब दिया गया है वे कितनी कितनी देर के सर्विस में थे?

श्रीमती शारदा रानी : लगभग कोई एक– माल से था, कोई दो साल से और कोई तीन साल से एड–हॉक बेसिज पर काम कर रहा था ।

Unallotted Evacuee Land

***940. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for

Revenue be pleased to state—

(a) the total area of unallotted evacuee land which has not so far been auctioned amongst Harijans in restricted auctions in the State and the reasons for the delay in auctions;

(b) whether the possession of all such lands so far auctioned amongst Harijans has been delivered to the auction purchaser; and

(c) the total area of Directory lands as on 30.5.1974 which remained unauctioned ?

Mr. Speaker : Time has been extended for sending reply to this question. The communication received by me in this connection is as follows-

''चिरंजी लाल

अर्ध—सरकारी पत्र क्रमांक 9317 /ज 1

राजस्व मन्त्री, हरियाणा सरकार

पुनर्वास विभाग,

चण्डीगढ । दिनांक 12 जुलाई, 1 974

विषय :— चौधरी चांद राम, सदस्य, हरियाणा विधान सभा द्वारा पूछा गया तारा— कित प्रश्न नं० 940, हरियाणा राज्य में उपलब्ध कुल निकासी भूमि जो अभी तक हरिजनों को सीमित नीलामी में नही बेची गई और उसको बेचने में देरी के कारण

आया जो भूमि आज तक हरिजनो को बेची गई है उसका कब्जा नेताओं को दे दिया गया है––डायरेक्टरी भूमि का 30 मई, 1974 तक का कुल रकबा जो अभी नीलाम होना बाकी है, के बारे ये सूचना–जिसको उत्तर 15 जुलाई, 1 974 को निश्चित है ।

प्रिय श्री स्वरूप सिंह जी

कृपया तारांकित विधान सभा प्रश्न नं ० 940 जो 15 जुलाई, 1974 की– सूची. में चौधरी चाद राम, सदस्य । हरियाणा विधान सभा के नाम है की ओर ध्यान देने का कष्ट करें । इस प्रश्न का उत्तर अभी तक तै यार नही है क्योकि जो सूचना राज्य कें सभी तहसीलदार (विक्रियों) से मामी गई हैं, वह अभी तक प्राप्त नही हुई है । इस सूचना के एकत्रित करने के लिाग समा चाहिए। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इसका उत्तर 3 अगस्त, 1974 तक बड़ाने की स्वीकृति दें । इस प्रश्न को 3 अगस्त, 1 974 के बाद किसी तिथि को उत्तर के लिए निश्चित कर दिया जाए । आपका

हस्ताक्षर (चिरन्जी लाल)

श्री स्वरूप सिंह, अधयक्ष

हरियाणा विधान सभा

चण्डीगढ ।

One Voice : By what time ?

Mr. Speaker : By 3rd August, 1974.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Allotment of Land to Harijans

303. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the village-wise list of Harijan tenants, with their names who have been allotted sur-plus land in each district -of the State during the period from 1st November, 1966 to 1974 (to-date); and

(b) whether all the tenants referred to in part (a) above have been given actual possessions of the surplus land allotted to them; if not, the number and names of such tenants as were not given possessions togetherwith the reasons therefor ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) : सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगे गा उससे विशेष लाभ न होगा ।

Election of the Directors of the Haryana Co-operative Sug ar Mills

307. Chaudhri Chand Ram : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date when the Elections of the Directors of the Haryana Co-operative Sugar Mills, Panipat, were held;

(b) whether the Election of the Chairman of the said Mills has been held, if not, the reasons thereof;

(c) the date when the election of the Chairman of the Directors of the Haryana Co-operative Sugar Mills, Rohtak, is being held ;

(d) the year-wise total amount of profit accrued to or loss suffered by the Co-operative Sugar Mills as referred to in parts (a) and (c) above since they were set up;

(e) the period during which the aforesaid Co-operative Sugar Mills remained under the management of the Government; and

(f) whether the Board of Directors elected from the Members has ever been suspended, if so, the number of occassions of suspension ?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :——

(क) 13 नवम्बर, 1973

(ख) (1) नही ।

(2) यह चुनाव कुछ कानूनी अड़चनों के कारण नही हो सका है ।

(ग) अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

(घ) विवरण विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत है ।

(ड) पानीपत सहकारी चीनी मिल

(1) 12– 11–1956 से 18– 12– 1961

(2) 4– 2– 1963 से 26– 8– 1966

(3) 11– 1– 1967 से 28– 8– 1967

(4) 8– 1– 1969 से 13– 11– 1973

रोहतक सहकारी चीनी मिल

फरवरी, 1963 से जून, 1974

(च) इन मिलों के निदेशक मण्डल निलम्बित नही किए गए थे बल्कि विस्थित किए गए थे ।

पानीपत चीनी मिल का निदेशक मण्डल दो बार विस्थित हुआ जबकि रोहतक मिल का एक बार ।

सूची

वर्ष	चीनी मिल पानीपत	चीनी मिल रोहतक
1956-57	--10,833	--2,73,441
1957-58	+91,960	--18,58,266
1958-59	--3,44,407	--14,82,761
1959-60	+3,78,252	+4,44,578

1960-61	+8,14,921	+3,02,400
1961-62	+11,74,274	-11,79,637
1962-63	+5,17,361	+42,262
1963-64	+4,26,498	+12,88,372
1964-65	+23,91,426	+8,76,892
1965-66	+12,32,219	+11,98,427
1966-67	--10,79,346	-2,66,771
1967-68	+14,21,415	+7,66,720
1968-69	--16,90,255	--31,31,806
1969-70	+16,68,373	+10,91,192
1970-71	+7,37,464	+1,06,923
1971-72	+18,14,362	+17,49,026
1972-73	+13,63,163	+30,38,983
1973-74	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

Construction of Link Road in Village Mundogarhi

304. Lala Rulia Ram : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any scheme under consideration of **the** Government to connect village Mundogarhi in Tehsil Karnal to any road through a link road, if so; whether any estimate in this respect has been prepared ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) :

(1) जी नहीं

(2) कोई नहीं जी ।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, 15 आदमियों को रस्सी से बांध कर बरवाले की गलियों में फेरा गया । (विघ्न) इस पर मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दिया हुआ है ।

Mr. Speaker : Your Call Attention Motion was put up before me during the Questions Hour. It is under my examination and the reply will be sent to you.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैंने भी एक घण्टा पहले काल अटैन्शन मोशन दी थी ।

Mr. Speaker ; That is also under my examination. I will give my ruling on it tomorrow.

चौधरी चांद राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, स्पीकर साहब मैंने आप को एक क्वैश्चन दिया था ।

Mr. Speaker ; Order please. That has been decided. You must have received your reply.

चौधरी चांद राम : रिवासा इन्सीडैट के बारे में जुडिशियल इन्क्वायरी काएक सवाल दिया था । आप का जवाब तो मेरे पास आ गया है, इस में आप ने लिखा है––

'The matter relating to Riwasa incident has been discussed in the House in detail "

Mr. Speaker : Order please. No point of Order about this matter (Interruption). You can come and discuss this matter in my Chamber. This has been disallowed and reply has been received by you.

चौधरी चांद राम : जो बात मैं कहना चाहता हूं वह और है, वह एक रूल की बात है ।.. (व्यवधान)..

Mr. Speaker : Order please, order.

15.00 बजे

चौधरी चांद राम : यह 11 जुलाई को डिस्क्स हुई और मेरा सवाल 20 जून का था, अभी त कवह डिसकस ही नहीं हुई थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं

Mr. Speaker ; You can come and discuss this thing with me and you will be satisfied.

A Minister to move....

दी हरियाणा प्रोहिबिशन आफ समोकिंग इन सिनेमा एंड थियेटर हाल्ज बिल, 1974

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : On a point of order, Sir. Mr. Speaker, I wish to draw your kind attention to the financial memorandum to this Bill. It is written in the financial memorandum—

"The Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and Theatre Halls Bill, 1974, contains section 2 which provides expenditure/income to State Exchequer.

It k assessed that the annual income to the State will be nominal and similarly the expenditure will also be nominal on this account."

Now, I wish to draw your kind attention to Rule 125, which reads—

"125(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

My submission is that the word "shall" has been used in this Rule—

"shall invite particular attention to the and shall also give an estimate of t he recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

Two provisions have been made in this Rule and in this financial memorandum the requirement of Rule 125 has not been fulfilled.

Sir, I further wish to submit that in this "Practice & Procedure of Parliament" by M. N. Kaul, on page 462, it is written that—

"During discussion on the motion for reference of the Essential Commodities (Second Amendment) Bill to a

Select Committee, a point of order was raised that the financial memorandum appended to the Bill was incomplete as it did not give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved. The point of Order was upheld by the Chair and further consideration of the Bill was postponed with a view to enabling Government to furnish a revised finaneial memorandum giving particulars of recurring and non-recurring expenditure involved. The revised financial memorandum furnished by Government was circulated to members separately. A letter conveying fresh recommendation of the President for consideration of the Bill received from the Minister was also published in the Bulletin."

My humble submission is that they have not fulfilled the requirements under Rule 125. They are a must and as such the Bill should not be allowed to be introduced in the House.

Mr. Speaker : Order please. Rule 125 requires two things : one the financial memorandum and the other 'estimates'. The financial memorandum is there with the Bill. As regards the 'estimates', it is written that it will be very nominal. The income will be very nominal and the expenditure will be very nominal.

चौधरी राम लाल वधवा: नौमीनल भी कितना?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) : I would like to clarify it further more. The Point is what this Bill is ? This Bill is already in force in Haryana. But that Bill is "The Punjab Prohibition of Smoking (Cinema and Theatre Halls) Act, 1951". We are not bringing a new legislation. Practically, all this

expenditure and income is there. We have simply repealed the old one and we are bringing it as Haryana Bill. That is all. Nothing more, nothing less.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : It is not a question of old or new bill. It is a question of Procedure of the Assembly,

Chaudhri Bansi Lal : Just to have something for the Assembly to pass, some Bill or the other. we have brought so many Bills like this. But there is no new liability on the Government. It will remain as it was. Only the title has been changed.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Then there is no need for the financial memorandum. If the financial memorandum is attached with the Bill,

which is an essential provision of Rule 125 . the requirements of financial memorandum must be fulfilled. What this "Practice and Procedure in Parliament" says is: "all that financial memorandum to Bills involving recurring and non-recurring expenditure must be attached."

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मान लो थोड़ा बहुत देने के लिए ये भी असैग्बली में कुछ सीख के आए होंगे, लेकिन बिल हमारा सही है

चौधरी राम लाल वधवा : नहीं जी, बिल कहां सही है Speaker Sahib, my submission is that the word "shall" has been used in the Rule i. e. they must comply with the provisions as laid down in Rule 125 of Rules of Procedure & Conduct of Business.

Mr. Speaker : Order please. The very title of the Bill shows

उद्योग मन्त्री(श्री हरपाल सिंह): इस में फाईन की बात है और कुछ है ही नही ।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Then why has the Government written that nominal expenditure and nominal income if there was no question of money at all ?

Mr. Speaker : Order please. The very title of the Bill shows The Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and Theatre Halls Bill-that this is a Prohibition of Smoking and there is no question of any income.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Sir, then why this Financial Memorandum ? It may be estimated Re. 1/—only or more but must.

चौधरी शिव राम वर्मा : बिल के कोई खिलाफ नही है मगर कोई कायदा कानून तो पूरा होना चाहिए?

Mr. Speaker : Order please. It is very very nominal.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : But how is the Government working ? We want to show only how the Government is working and what is efficiency of the Secretariat. (Interruptions)

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, चौधरी राम लाल की बात हमारी समझ में आएगी मगर चौधरी शिव राम वर्मा अगर इस तरह की बात करेगा यह हमारी समझ में कब आएगी?. (व्यवधान). . चौधरी राम लाल को सही बोलना नही आता तो ये कैसे बोल गया.. (व्यवधान)..

चौधरी शिव राम वर्मा : आप लिखिए कितनी आमदनी कितना खर्चा है, नही तो यह लिखें कि कोई आमदनी नही है ।

चौधरी बंसी लालः इनकी सीट का फर्क पड़ गया, इनकी सीट बदलो, नही तो चौधरी शिव राम की आदत बिगड़ जाएगी (हंसी).

चौधरी शिव राम वर्मा : हमारी आदत तो नही बिगड़ती । हमने आपकी कमियां आपके सामने और हाउस के सामने लानी हैं ।

Mr. Speaker : Order, please. Order please The objection is overruled.

Minister of State for Home and Health (Shrimati Sharda Rani) : Sir, I beg to introduce the Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and Theatre Halls Bill, 1974.

I also move--

That the Haryana Prohibition o f Smoking in Cinema and Theatre Halls Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and Theatre Halls Bill be taken into consideration at once

श्री के० एन० गुलाटी (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, यह बिल बहुत अच्छा है, इसके पीछे एक अच्छी भावना है इसलिए मेरे साथियों को इसकी मुखालफत नही करनी चाहिए । अगर हर सूरत में बोलना ही है तो बोलें लेकिन बोलने वाली कोई बात नही है । स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 'नो स्मोकिंग' बहुत अच्छी चीज है सेहत के लिए और करैक्टर ऊंचा करने के लिए । मैं आपकी मारफत जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी एक्ट, जो भी बिल पास हो जाए, उसको हमारे रिस्पैक्टिड आफिशियल्ज पूरी तरह इम्पलीमैंट करें और उनके ऊपर कड़ी नजर रखें ताकि बिल की निरादरी न हो । मिसाल के तौर पर बसो के अन्दर 'नो स्मोकिंग' है, लेकिन हम देखते है कि कुछ कंडक्टर्ज और ड्राईवर्ज बसों के अन्दर सिग्रेट पीते हैं, पब्लिक भी पीती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल की भावना है कि जहां 'नो स्मोकिंग' हो, उसका पूरे तरीके से पालन किया जाए । इसी तरीके से सिनेमा के अन्दर जो अनफिशियल्ज हों, पब्लिक हो, चाहे कोई भी बैठा हो, सिनेमा में सिग्रेट न पीए और अगर कोई पीए तो उस पर कडी नजर रखी जाए । इसी तरह मंगलवार को बैगर्ज की लाईनें लग जाती हैं, वे जगह–जगह मांगने लगे रहते है । मैं सरकार का मशकूर हूंगा अगर सरकार बैगिग पर निषेध कूरने के लिए कोई बिल लाए ताकि हमारा करैक्टर ऊंचा हो और जो कमियां हम में है वे दूर हों, लेकिन इसका अच्छी तरह से पालन किया जाए । (

इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) डिप्टी स्पीकर साहिबा जहां सरकार नो–स्मोकिंग इन सिनेमा का बिल लाई है, वहां मैं यह भी चाहूंगा कि सिनेमा के अन्दर धार्मिक और नैशनल फिल्मज दिखाई जानी चाहिए और गन्दी फिल्मों को बन्द करना चाहिए । दूसरे सिनेमा को नैशनेलाईज कर दिया जाना चाहिए और सादगी की फिल्मज दिखाई जानी चाहिएं । इन रिमार्कस के साथ मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं ।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा जहां तक इस बिल को सदन में पेश करने का सवाल है इसमें जो प्रोविजन किया गया है उसका मैं वैलकम करता हू । सरकार ने इस बिल को लाकर बडी अच्छी बात की है । जो लोग सिनेमा के अन्दर सिग्रेट और बीडी पीते हैं उस से घुटन महसूस होती है । सरकार ने जो पाबन्दी लगाने का स्टैप उठाया है यह बड़ा अच्छा है । सवाल तो केवल यह है कि सरकार इसको पूरी तरह से इम्पलीमैंट कर भी पाएगी या नही? जैसा कि सदन को मालू म ही है कि सिनेमा के अन्दर जन–गण–मन राष्ट्रीय गीत गाया जाता था । कई सात्र तक वह चलता रहा लेकिन अब उसकी हालत क्या हुई है, जब उसको सरकार चौक ही नही कर सकी तो उसे वापिस ले लिया गया है । हम लोग तो यह समझे है कि सरकार लोगो को इसके लिए मजबूर नही कर पाई, न कानून के जरिए और न दूसरे तरीके से । राष्ट्रीय गीत सिनेमा में गाया जा रहा होता है और लोग उठकर के चले जाते है । वैसे जो बिल

सरकार धूम्र–पान निषेध का लाई है, यह अच्छा है । इसी प्रकार से सरकार एक बिल लाई थी जिसमें भीख मांगना ममनू करार दिया गया है, बड़ा अच्छा बिल है लेकिन वह कानून केवल कानून ही बन कर रह गया । आप हर शहर में चले जाइए लोग भीख मांगते हुए मिलेंगे । इसी प्रकार से धुम्र–पान निषेध बिल अच्छा है, अगर इसकी इम्पलीमैंटेशन सर– कार ठीक ढंग से जोर देकर करे । यह न हो कि वहां पर इसपैक्टर किसी दिन चला जाए, पहले तो सिनेमा वाले ही उसको बॉक्स में बैठा देंगे और वह कोई ऐक्शन नही लेगा । इसलिए मेरी गुजारिश है कि सिनेमा वालों को आर्डर किए जाएं कि वे इसकी कड़े ढंग से, ठीक तरीके से इम्पलीमैंटेशन करें । इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि केवल इंस्पैक्टर भेजने से या इस तरीके से कि इंस्पैक्टर वहां जाकर किसी को पकड़ लाए, इस तरह से यह मामला हल होने वाला नही है । इस बिल के अन्दर प्रोविजन होना चाहिए कि जिस सिनेमाघर में सिग्रेट पीता हुआ कोई पकड़ा जाए उस सिनेमा वारों का चालान होना चाहिए तब जाकर यह बीमारी रुक सकेगी । थोड़ा सा जुर्माना करने से यह रुकने वाली नही है । पीने वाले पर तो सख्ती होनी ही चाहिए साथ में सिनेमाघर वालों तर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का अनुमोदन करती और सरकार से अर्ज करता है कि वह इसको इम्पलीमैंट कराने पर पूर्ण रूप से ध्यान देगी ।

श्री निहाल सिंह (महेंद्रगढ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा जो बिल हाउस में पेश हुआ है, यह बहुत अच्छा बिल हस । इसमें कोई खास बात नही है । मैं केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार के रूल्ज के अनुसार सिनेमा में स्मोक्गि प्रोहिबिट कर दिया है । इस बारे में सरकार एकं तरफ तो लिखती है किं यह कानूनन' जुर्म है लेकिन सिनेमा के अन्दर जो एडवरटाइजमैट की जाती है उसमें बहुत खूबसूरत लड़के–लड़कियो को सिरे ट पीते दिखाया जाता है तो यह दोनों ही कन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं । इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जहां हम सिनेमा में सिग्रेट पीने पर प्रोहिब्शन कर रहे है वहां हमें सिग्रेट की एडवरटाईजमैंट जो सिनेमा में करते हैं उस पर भी प्रोहिब्शन करनी चाहिए । (तालिया) लोगों में यह टैस्टिग टाईम होता है । एक तरफ तो हम लोगों को पीने से मना करे और दूसरी तरफ एडवरटाइजमैंट करें कि फलां सिग्रेट पीओ । इसलिए मैं फिर सदन से दरखास्त करूंगा कि सिग्रेट की एडवरटाइजमैंट सिनेमा में नही होनी चाहिए । (तालियां)

चौधरी चांद राम (बबैन एस०सी ०): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कोई ज्यादा कहने की जरूरत नही है सिवाए इसके कि इसपर थोड़ा जोर देने वाली बात है । डिप्टी स्पीकर साहिबा धूम्रपान के लिए यह कोशिश हो रही है कि यह हानिकारक है और यह बन्द होना चाहिए । जैसा कि अभी गुलाटी साहब ने कहा है कि सिनेमाघरों में यह पीना हानिकारक है, इसी प्रकार से बसों

में भी हानिकारक है । लोग बसों में भी पीते है । जबकि बसों में धूम्रपान निषेध लिखा हुआ होता है । इतना लिखा होने के बावजूद भी, मुसाफिर भी एक दूसरे को रोकते हैं, रोकते हुए आपस में झगड़ा भी हो जाता है, कंडक्टर को कहे तो वह सुनता ही नही और कई बार तो कंडक्टर और ड्राईवर खुद ही पीते है । कडक्टर और ड्राईवर तो यह समझते है कि यह गाड़ी गवर्नमैंट की नही, मै ही इस गाड़ी का इन्चार्ज हू । जो कायदे–कानून हम बनाते हैं, इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में लिखा है ''धूम्रपान, विशेषतया सिग्रेट पीना एक हानिकारक आदत है । धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए आपद है, हृद्वाहिनी–सहति के लिए खतरनाक है तथा यह फेफड़े के कैसर का कारण भी बन सकता है । लोगों को, विशेषकर युवको को, धूम्रपान की आदत न डालेंने के लिए प्रेरित करने की तुरन्त आवश्यकता है । सिनेमाघरों तथा थिएटरों में तम्बाकू पीने का हानिकारक प्रभाव केवल धूम्रपान करंने वाले व्यक्ति पर ही नही अपितु बन्द हाल में बैठे अन्य लोगों पर भी पड़ता है । ''

जब इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में यह लिखा है कि दूसरों पर सिनेमा में इसका असर पड़ता है, बसों में पड़ता है और दूसरी कई जगहों पर इसका प्रभाव पड़ता है । जहां पर भी सामूहिक तौर पर लोग इकट्ठे हों वहां पर मनाही होनी चाहिए । बस में तो लोगों ने 5– 6 घटे लगातार सफर करना होता है ।

कम–खे–कम वहां तो यह निषेध होना चाहिए, मनाही होनी चाहिए ।

एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं कि अभी' अखबारो में निकला है कि पंजाब के अन्दर धूम्रपान, चरस और गांजा बहुत माता मे प्रयोग होना आरम्भ हो गया है ।

पंजाब के मार्शल लोगों में से अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से ये नशीली चीजें मंगा कर मार्शल रेश को खत्म किया जा रहा है । तो इसी प्रकार से हमारे हरियाणा को शराब से 20 करोड़ की आमदनी होती है ।

उपाध्यक्षाः चौधरी चांद राम जी, आप इस बिल पर ही बोलें, बिल से बाहर न बोलें ।

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल धूम्रपान ही हानिकारक नही है बल्कि शराब भी उतनी ही हानिकारक है । चौधरी माडू सिंह जैसे आर्यसमाजी यहा पा मौजूद हैं उनको इस बात का कोई आल्टेरनेटिव निकालना चाहिए कि शराब की अपेक्षा यह आमदनी किसी और तरीके से की जाए ।

उपाध्यक्षाः आप इस बिल पर ही बोलें । बिल से बाहर न जाए ।

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब एक चीज एक जगह हानिकारक है और दूसरी चीज इससे भी खतरनाक और हानिकारक है । तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जहा पर यह अच्छा कदम उठाया जा रहा है वहाँ शराब को बन्द करने के लिए भी कदम उठाया जाना चाहिए ।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–एस ०सी ०): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल में केवल एक ही बात चेंज करने वाली है । इसमें हम पंजाब की बजाए हरियाणा करने जा रहे हैं । लेकिन इसके साथ–साथ जो हुस दौरान में इम्प्लीमैंटेशन के बारे में देखा गया है । इस बिल की स्प्रिट को इम्प्लीमैंट नही किया जा रहा है । जैसा कि इसमें बताया है कि सिग्रेट, बीडी और तम्बाकू और पाइप पीना हानिकारक है, आदत बुरी है । इस बुरी आदत और हानिकारक चीज को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है कि सिनेमा और थियेटर के अन्दर स्मोकिंग बन्द होनी चाहिए । लेकिन आज का यूथ पीक्चर देखने का भी बहुत आदी हो गया है और वह हिप्पी स्टाइल का भी बहुत आदी बन गया है और इस हिप्पी स्टाइल में स्मोकिंग भी शामिल हो गई है । आजकल लम्बे–लम्बे बाल लड़के लड़कियों की तरह से रखते हैं और वे हिप्पी स्टाइल से ही स्मोकिंग करते हैं । जब तक लड़कों के अन्दर से हिप्पीइजम को न हटाया जाएगा तब तक स्मोकिंग भी नहीं हट सकती । इसलिए मेरी गुजारिश खास तौर से हए कि

जब हम स्मोकिंग पर प्रोहिबिशन कर रहे है तो इसको भी खत्म किया जाना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा इस बिल के अन्दर एक इंसपैक्टर को पावर दे दी है कि बीस रुपए ज्यादा से ज्यादा फाइन कर सकता है जो सिनेमा या थिएटर हाल में में सिग्रेट पीता हुआ पाया जाएगा । मेरी एक गुजारिश है कि यह फाइन कम है और ज्यादा होना चाहिए जो फाइन बीस रुपए रखा है इसकी इम्प्लीमैंटेशन भी कम हुई है । किसी भी सिनेमा वालों ने कोई भी जुर्माना सिग्रेट पीने वालों पर नहीं कराया । कोई भी आदमी कार्य– वाही कैरने के लिए तैयार नही है । इसलिए गुजारिश है कि कार्यवाही होनी. चाहिए जैसा कि बसों में आपने देखा होगा कि नो–स्मोकिंग लिखा हुआ है, पहले तो ड्राइवर ही स्मोकिंग करते हुए मिलेंगे । कई बार बसों में इस बात पर झगड़ा भी हो जाता है । अगर बस में कोई सरदार जी बैठे है तो फिर डिगरी और भी बढ़ जाती है पीने वाला कहता है कि में तो पीऊंगा । में तो हिन्दू हूं, मेरा अधिकार है । इसलिए इस बिल की इम्प्ली–मैंटेशन होना जरूरी है । यह बिल बहुत ही अच्छा है । इसके लागू होने से हमारी आदत सुधरती है । इसका मैं पुरजोर समर्थन करते हुए यही अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी इम्पलीमैंटेशन सही तरीके से होनी चाहिए ।

श्री गणपत राय (दादरी–एस ०सी ०) : उपाध्यक्ष महोदया यह बिल सदन के सामने आया है । मैं इसका समर्थन

करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सिनेमा के अन्दर बीडी– सिग्रेट पीना केवल खतरनाक ही नहीं मैं तो यह समझता हूं । जैसा कि अभी अभी चौधरी चांद राम जी ने और चौधरी अमर सिंह जी ने कहा, कि बस कें–अन्दर भी बीडी–सिग्रेट पीना उतना ही खतरनाक है जितना सिनेमा के अन्दर है ।

उपाध्यक्ष महोदया, सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो हमारे लिए यह है कि हम इस बिल को पास तो करने जा रहे हैं लेकिन हमारे इस सदन के ही सदस्य जब लौबीज में बैठते हें, चाहे वे...

Deputy Speaker : You cannot discuss the Members. Please speak on the Bill

एक आवाज (विरोधी बैन्चिज की ओर से): वे तो रिक्वैस्ट ही कर रहे है और यह जो कहना चाहते हैं, एक अच्छी बात है, कोई दूसरी बात नही है ।

श्री गणपत राय: अगर हमारे सदस्यगण इस बात के ऊपर ध्यान कर लें कि यहां पर बैठकर सिग्रेट वगैरा पीना उतना ही खतरनाक है जितना कि सिनेमा हाल में तो बहुत ही अच्छी बात है । उपाध्यक्ष महोदया, यह एक सैल्फ रिस्ट्रिक्शन की वात है और दूसरे यदि स्कूलों और कालेजों के अन्दर भी बीडी–सिग्रेट पीना निषेध कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । क्या माननीय सदस्य यह बताएंगे कि इन्होंने कभी धूम्रपान किया है? जब इन्होने खुद नही किया है तो कैसे यह बताते हैं कि खतरनाक है ।.. (व्यवधान)..

श्री गणपत रायः इस बिल में जो लिखा है, उसके साथ ही साथ उम्र की भी पाबन्दी लगा दी जाए कि इससे कम उम्र के बच्चों को भी बीडी सिग्रेट नहीं पीनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात होगी । इतना हीं. कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं ।

श्री ओम प्रकाश गर्गः डिप्टी स्पीकर साहिबा– (शोर एवं व्यवधान) ––डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं टाईम मांग रहा हूं, वैसे ही नही बोल रहा हूं ।

उपाध्यक्षाः मेरा अपना ख्याल है कि यह बहुत छोटा सा बिल है । इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुकी है । I will request the Hon. Member to take his seat. I am now putting the motion to the vote of the House.

Question is—

That the Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and Theatre Halls Hill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2.

Deputy Speaker ; Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker : Is there any amendment to this clause ?

State Minister for Home & Health (Shrimati Sharda Rani) Madam, I beg to move—

That in sub-clause (2) of clause 3, lines 4-5 for "section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1898". substitute "section 42 of the Code of Criminal Procedure, 1973",

Deputy Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (2) of clause 3, lines 4-5 for "section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1898" substitute "section 42 of the Code of Criminal Procedure, 1973".

Deputy Speaker : Question is—

That in sub-clause (2) of clause 3, lines 4-5, for "section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1898" substitute "section 42 of the Code of Criminal Procedure, 1973".

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motian was carried.

Clause 4

Deputy Speaker : Question is—.

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried .

Clause 5

Deputy Speaker : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Deputy Speaker : Is there any amendment to this clause ?

State Minister for, Home & Health (Shrimati

Sharda Rani): Yes. Madam, I beg to move—

That in clause 6, line 2, for the figure "1898" substitute "1973".

Deputy Speaker : Motion moved—

That in clause 6, line 2, for the figure "1898" substitute "1973".

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने पहले फाईनैशियल मैमोरेन्डम की बात कही । अब मिनिस्टर साहिबा जो अमैंडमैंट ला रही हैं, उसके बारे में सरकार से इतना ही अनुरोध करूंगा कि कम से कम उन्हें बिल की ड्राफ्टिंग की ओर तो पूरा ध्यान देना चाहिए । फर्स्ट अप्रैल, 1974 से क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट 1973 लागू हो गया है । यह बिल 2 जुलाई, 1974 को बन रहा है, यह इस बिल पर डेट दी हुई है सरकार बिल बनाते हुए इतना भी नहीं देखती कि अप्रैल में यह ऐक्ट लागू हो चुका है और इस बिल में 1 898 का ऐक्ट लिख रहे हैं और अब उसे ठीक करने के लिए अमैंडमैंट ला रहे हैं । ये बिल आप किस ढंग से बना रहे हैं? कम से कम आप अपनी सैक्रेटरिएट की मशीनरी को तो देखिए कि वह कैसे काम कर रही है – (व्यवधान) –

Transport Minister (Col. Maha Singh) It is a clerical error.

Deputy Speaker Chaudhri Ram Lal Ji, it is a very formal amendment

चौधरी राम लाल वधवा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन बातों के लिए अमेंडमैंट लाकर सदन का टाईम बरबाद किया जाता है यह टाईम किसी दूसरी तरफ लग सकता है । पहले ही बिल ठीक ढंग से क्यों नहीं लाया जाता ।

गृह मंत्री (श्री के ० एल ० पोसवाल) : चौधरी राम लाल जी, क्यों ऐसी छोटी–छोटी बातों का नोटिस लेते हो?

चौधरी राम लाल वधवाः यह छोटी बात नहीं है 1 यदि बिल गइले ही ठीक ढंग से लाए जाएं तो सदन का टाईम बच सकता है ।

Deputy Speaker Question is—

That in clause 6, line 2, for the figure "1898" substitute "1973"

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 6, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Deputy Speaker : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Deputy Speaker : Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Deputy Speaker : Question is–

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker : Question is--

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker : Question is—That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

State Minister for Home and Health '(Shrimati Sharda Rani) : Madam, I beg to move—

That the Haryana Prohibition of Smoking in Cinema

and Theatre Halls Bill, as amened, be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Harynna Prohibition of Smoking in Cinema and Theatre Halls Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and Theatre Halls Bill, as amended, be passed .

The motion was carried.

दी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (ऐडीशनल फंक्शनज) बिल, 1974

Home Minister (Shri K.L. Poswal) : Madam, **I** beg to introduce the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Bill, 1974.

I also beg to move—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल में केवल एक ही क्लाज है । यह क्लाज नम्बर 3 है इसमें लिखा है ––

"Notwithstanding anything contained in any other law for the time

being in force, recruitment to all posts carrying an initial pay exceeding three hundred and fifty rupees per mensem under a local authority shall be made through the Commission".

और लोकल बाडी की डफिनेशन जो क्लाज 2 (बी.) में दी है वह इस प्रकार है ––

'Local authority means a municipal committee, notified area committee, Town Improvement Trust, Panchayat Samiti or any other authority legally entitled to, or entrusted by the State Government with, the control or management of a municipal or local fund'.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कहने का भाव यी कि मेरे दोस्त नाराज हो जाते है, जब मैं यह कहता हूं कि एक तरफ नया बिल बनाकर यी सरकार सारी लोकल बॉडीज को अपने हाथ में ले रही है । कही पंचायतों को अपने हाथ में ले रही है, म्युनिसिपल कमे–टियो को अपने हाथ में ले रही है । पता नही सरकार इन कमेटियों के चुनाव कराएगा या नही लेकिन यह सारी पावर्ज अपने हाथ मे लेती जा रही है –– (व्यवधान) ––जो लोकल बाडीज

है, उनको अपने फंक्शन्त चलाने हैं और जो पब्लिक सर्विस के थ्रू रिक्रूट– मैट होंगी उनमें, जब इन लोकल बॉडीज के चुनाव होकर ये फक्शज करने लगेगी तो इन बाडीज में झगड़े खड़े होंगे और जो इनकी वर्किंग होगी वह सफर करेगी क्योकि जो रिक्रूटमैंट पब्लिक सर्विस के ज होगी वे लोग उनकी बात नही मानेगे । इसलिए मै इस बिल का विरोध करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हू कि वह इस बिल को पास न करे ।

चौधरी चांद राम (बबैन––अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो मैं समझता हूं और जैसा कि कहा गया है कि लोकल बोडीज को यह अरिख्तयारात होना चाहिए लेकिन सरकार पब्लिक सर्विस कमशिन को लोकल बॉडीज के रिक्रूटजेंट का अख्तियार दे रही है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1967 से पहले हमारे यहां पब्लिक सर्विस कमिशन में एक शिडयूल्ड कास्ट मैंबर होता था वह उस समय शिडयूल्ड कास्ट की रिक्रूटमैंट मे जो रिजर्वेशन है उसको देख लेता था कि ठीक है अथवा नही लेकिन 1967 के बाद जब से उस मैंबर ने इस्तीफा देकर पार्लियामैंट का चुनाव लड़ा तब से आज तक किसी हरिजन को इस काबिल नही समझा गया कि वह पब्लिक सर्विस कमिशन का मैंबर बन सके । मेहरबानी करके जब तक कोई शिडयूल्ड कास्ट का मैंबर नही है तब तक उनका जो हक है उसका तो आप ख्याल रखिए । हमारे पास पब्लिक सर्विस कमिशन की जो रिपोर्ट आती है उसमें बिल्कुल एक तकनीकी तस्वीर दी होती है क्योकि पब्लिक सर्विस कमिशन

जो शिडयूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन है उसको पूरा नही करती । कहती है कि कैण्डी'– डेट्स नही मिलते । पता नही इस बात मे कि कैन्डीडेट्स नही मिलते, कितनी सच्चाई है । होना तो यह चाहिए कि जब पब्लिक सर्विस कमिशन को अख्तियारात दिए जा रहे है तो जिस क्लास को कास्टीच्यूशन मे रिजर्वेशन मिली है उसक मेंबर होना चाहिए अगर नही है तो कम से कम कास्टीच्यूशन में जो रिजर्वेशन है वह पूरी मिलनी चाहिए । रलॉक सिस्टम आफ रिजर्वेशन में पहली जो वैकैन्सी होती है डायरैक्ट रिक्रूटमैंट में वह शिडयूल्ड कास्ट को जाती है । चाहे वे पोस्टस लोकल बॉडीज में हों या गवर्नमैंट सर्विस ने हों, चाहे कोई सैक्रेटरी लगाना हो, चाहे इंजीनियर लगाना हो । इसमें सरकार ने कर दिया कि फर्स्ट वैकैन्सी नही तीसरी वैकेन्सी की हिदायत जारी कर दी और इसके साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमिशन सीनियरिटी डिटरमिन करेगा । हसका मतलब यह हुआ कि यह ब्लॉक सिस्टम आफ रिजर्वेशन को नलीफाई करता है । आपका जो एल०आर ० है या आपका कोई अगर लीगल पंडित है तो उससे सलाह कर लीजिए कि ब्लॉक सिस्टम आफ रिजर्वेशन क्या होगा । दूसरी तरफ आप कहते है कि 100 में से 20 रिजर्व है बाकी नान––शिडयूलड कास्ट को जाएंगी यानी 100 में से 80 नान शिडयूल कास्ट को और 81 वीं 82 वी 83 वी और 84 वी शिडयूल्ड कास्ट को दे सकते हैं तो रिजर्वेशन तो हो ही गई । मेरा मतलब भी रि–जर्वेशन का है और आपका मतलब भी रिजर्वेडान देने का है लेकिन मैं पूछता चाहता हु कि ब्लाक सिस्टम

आफ एजुकेशन का क्या मतलब हुआ । डिप्टी स्पीकर साहिबा कितने साहिबा, ताज्जूब की, कितनी हैरानी की बात है कि हरियाणा गवर्नमैंट में ब्लॉक सिस्टम आफ रिजवेशन में पहली वैकैन्सी शिडयूल्ड कास्ट को जानी चाहिए 12 अप्रैल, 1 963 के हुक्म से कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन होनी चाहिए । लेकिन हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको नलीफाई कर दिया

श्री के ,एल ० पोसवाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो पब्लिक सर्विस कमशिन का बिल है और इसमे यह है कि लोकल बॉडीज की जो वकैन्सीज होगी उनको पब्लिक सर्विस कमिशन के थू भरा जाएगा लेकिन ये कुछ और ही बोल रहे हैं ।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, आप बिल पर बोले । आप रैपिटीशन न करें।

चौधरी चांद राम : पता नही गवर्नमैंट को इस बात के लिए क्यों तकलीफ हो रही है?

श्री के ० एल ० पोसवाल : भई, जो कुछ आप बोल रहे हैं इस बिल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है । This is not the time.

Deputy Speaker : 1 will request the Hon. member not to repeat the things once said. Please refer to the recruitment and not other things.

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं रिक्रूटमैंट पर ही बोल रहा हूं । 18 दिसम्बर, 1 970 को सुप्रीम कोर्ट में हीरा लाल वरसिज प्रताप सिंह अपील की गई और वहू अपील ऐक्सैप्ट की गई और सुप्रीम का फैसला था किं कांस्टीच्यूशन के मातहत फर्स्ट वैकैन्सी शिडयूल्ड कास्ट को दी जा सकती है । आप मेहरबानी करके पब्लिक सर्विस कमीशन को यह हिदायत दीजिए कि वह ऐसा करे । यह फैसला पंजाब में इंप्लीमैंट हो गया हए हरियाणा गवर्नमैंट पता नहीं उसको इप्लींमैंट कर रही है । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

Social Welfare & Taxation Minister (Shri Shyam Chand) ; On a point of order, Madam. The block system has not been changed so far.

श्री के ० एल ० पोसवाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बड़ा साधारण सा बिल है । इसमें यह करने जा रहे हैं कि जो लोकल बाडीज की वैकैन्सीज है उनको अब पब्लिक सर्विस कमिशन के थ्रू भरा जाएगा पहले ये बाडीक अपने आप फिलअप कर लिया करती थीं । यह एक नान–कन्ट्रोवरशियल बिल है । पहले यही लोग कहा करते थे कि इन लोकल बाडीज में अपने रिश्तेदारों को भर लिया जाता है, बड़ी धांधलेबाजी हे । अब इसमें संशोधन कर रहे हैं तब ये लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी दरखास्त है कि इस बिल को पास किया जाए ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1.

Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand parr of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3.

Deputy Speaker ; Question is—

That clause 3 stand part of the Bill,

The motion was carried.

Clause 4.

Deputy Speaker ; Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1} of Clause 1.

Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause **1 stand** part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Shri K.L. Poswal) ; Madam, I beg to move—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Bill be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Bill be passed.

Deputy Speaker ; Question is—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Bill be passed.

The motion was carried.

दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमैंडमैंट), बिल, 1974

Agriculture Minister (Chaudhri Bhajan Lal) : Madam, I beg to introduce the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill, 1974.

also move—

That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into considerattion at once.

Deputy Speaker ; Question is—

That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken

into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill Clause

by Clause.

Clause 2.

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1.

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker : Question is—

That

title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Chaudhri Bhajan Lal) : Madam, I beg to move—

That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker : Question is-

That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 2-00 P.M. tomorrow.

15.44 बजे

(The Sabha then *adjourned till 2-00 P.M. on Tuesday, the 16th July, 1974.)